जीवन की अनिश्चितताएं

दुखों के समुद्र में जीवन निर्वाह

Dalit Rights are Human Rights - Cast out Caste

NCDHR

नेशनल दलित वॉच द्वारा किया गया अध्ययन, 2010

आभार

यह रिर्पोट यमुना बाढ़ से बचे लोगों को समर्पित है जिन्होने पूरी बाढ़ के बारे में सूचना देने और मन की बात बताने में सहयोग किया। हम सर्वेक्षण किए गये पूरे समुदाय के आभारी हैं – विशेष रूप से महिलाओं के जिन्होने हम पर भरोसा किया और मन से बात कर के अपनी तकलीफें हमारे सामने रखीं।

हम जहांगीर पुरी दिल्ली स्थित संगठन सक्षम के मूल्यवान वोलियन्टरों अर्थात् पुष्पा, सुमन, सोनू, कुंती, लक्ष्मी और अमरजीत के आभारी हैं जो सर्वेक्षण में सहायता के लिए आगे आए और डाटा प्रविष्टि में सहायता की।

हम एन.सी.डी.एच.आर. में अपने साथियों अर्थात् संजीव कुमार, बीना जे. पॉलिकल, बलजीत मेहरा, मुदस्सर अहमद, सिंधु के और मोहित जैन का धन्यवाद करते हैं जिन्होने संगठन की दूसरी गतिविधियों में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद तथ्य खोजी दौरों, सर्वेक्षण स्थलों की पहचान, सरकारी कार्यालयों की यात्रा में साथ दिया। इसके साथ–साथ हम संगठन के प्रशासन में उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होने सर्वेक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से पूरा करने में सहायता की।

अंत में हम कोरडेड का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होने इस लक्षित अध्ययन के महत्व को समझा और इस पहल की वक्त पर सहायता की।

ळळळळळळ

नेशनल दलित वॉच

नेशनल दलित वॉच (एन.डी.डब्ल्यू.) नेशनल कामपैन ऑन दलित ह्यूमन राईट्स की पहल है जिसका उदय आपदा कार्रवाई और सहायता के दौरान दलित समुदाय के साथ घनघोर भेदभाव और बहिष्कार के मद्देनजर हुआ है। हमारे समय में कुछ बड़ी आपदाओं (2004 में सुनामी 2007 और 2008 में बिहार में बाढ़) के दौरान बहिष्कार को उजागर और उसका मुकाबला करने की दिशा में एन.सी.डी.एच.आर. के अनुभव का लाभ उठाकर एन.डी.डब्ल्यू. इस तरह के बहिष्कार को पहचानने, उजागर करने उसे दस्तावेजबद्ध करने के उपकरण और विधियां विकसित कर रहा है। आपदाओं के दौरान भेदभाव और बहिष्कार पर कारगर निगरानी रखने के लिए एन.डी.डब्ल्यू देश के विभिन्न हिस्सों में दलित अधिकार संगठनों, स्थानीय कार्यकर्ताओं और समुदाय नेताओं की सहायता करता है। हिमायत और मोबिलाईजेशन के जरिए एन.डी.डब्ल्यू. ऐसे परिवेश के निर्माण का प्रयास करता है जिसमें इस तरह के भेदभाव को पहचाना जा सके और बचे दलित और हाशिए के लोगों की हकदारी को इस तरह से रखा जा सके, जिससे शासन उत्तरदायी बने। इस समय एन.डी. डब्ल्यू बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम में काम कर रहा है। 2010 में युमना बाढ़ के अध्ययन से पहले 2009 में असम, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में इस तरह के अध्ययन किए जा चुके हैं।

ळळळळळळ

विषय सूची

क्रम संख्या	मद
	प्राक्कथन
	निष्पादन सारांश
1.	**आधार**
2.	**विधि**
2.1.	तथ्य खोजी दौरे 9–15 सितम्बर 2010
2.2.	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन
2.3.	सरकारी आदेश प्राप्त करना
2.4.	सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रों का चयन
2.5.	प्रश्नावली
2.6.	जांचकर्ताओं का चयन और समुदाय में प्रवेश
2.7.	प्रारंभिक जांच और समुदाय में प्रवेश
3.	**डाटा संग्रह**
4.	**डाटा विश्लेषण और रिर्पोटिंग**
5.	**पहले से मौजूद कमजोरियां**
6.	**निष्कर्ष**
6.1.	सामाजिक और भौगोलिक स्थिति
6.2.	आपदाग्रस्त न्यूनतम आजीविका विकल्प
6.3.	क्षति
7.	निकासी सेवाएं
8.	**राहत कार्य**
8.1.	राहत सामग्री का असमान वितरण
8.2.	स्वास्थ्य सेवाएं
8.3.	महिलाओं और बच्चों के लिए अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं
8.4.	अधिकारियों द्वारा क्षति निर्धारण
9.	**संबंधित प्राधिकरणों की सिफारिशें**
10.	**निष्कर्ष**
11.	**केस स्टडी**
	परिशिष्ट

प्राक्कथन

इस वर्ष अगस्त और सितम्बर (2010) में दिल्ली में भारी मानसून वर्षा हुई। लगातार वर्षा ने निसन्देह सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया और सिर पर खड़े राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी ने राष्ट्रीय सरकार की नींद उड़ा दी। भारी बाढ़ का खतरा सामने नजर आने लगा। नदी के जल स्तर ने 20 अगस्त को 204.83 मीटर के खतरे के निशान को पार कर लिया और निचले इलाकों में पानी भर गया। मुख्य इंजीनियर सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग (आई.ए.एन.एस.) के अनुसार हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता रहा जिससे नदी में उफान आ गया। 25 अगस्त को मौसम विभाग ने 24 घंटे में 9.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की और अगले दिन लगातार वर्षा की चेतावनी दी। पिछले 32 वर्षों में यमुना का जलस्तर पहली बार 207 मीटर के निशान को पार कर गया था जिससे उत्तरी दिल्ली और यमुना पार के बहुत से निचले इलाकों में पानी भर गया। ब्यूरो स्रोतों से पता चला कि इसके पहले 1978 में दिल्ली में भारी बाढ़ आई थी, जब जमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक चला गया था। नगर में तीन सप्ताह बाद राष्ट्रमंडल खेल (सी.डब्ल्यू.जी.) प्रायोजित किए जाने थे और खेल गांव की सुरक्षा को लेकर मीडिया और सरकार द्वारा अटकलें लगाईं जा रहीं थीं क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि वह भी डूब जाएगा।

भारी मानसून और हरियाणा राज्य के हथिनीकुड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से नदी का जल स्तर बढ़ता चला गया और उसने निचले इलाकों में लोगों के जीवन को ध्वस्त कर दिया था। इनमें से अधिकांशा दलित और हाशिए के वर्गों के लोग थे। इस प्रकार वर्षा और बाढ़ ने शहर मे तबाही मचा दी – विशेष रूप से नदी किनारे रहने वाले परिवारों के जीवन में, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के मकान और सामान बाढ़ की लपेट में आए। यहां से निकाले जाने से पहले ही उन्होने अपने मवेशी और संपत्ति गंवाने शुरू कर दिए थे।

कुछ लोगों ने दिल्ली मे वर्षा जोन पैटर्न का विश्लेषण किया और राजधानी में नालों के पैटर्न को यमुना बाढ़ का प्रत्यक्ष कारण बताया। इससे नदी तल और नदी तथा नालों के तटों पर रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। सख्त तल ने अचानक बाढ़ के खतरे को और भी बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप निचले इलाके पर बुरा असर पड़ता है, विशेष रूप से बेतरतीब कॉलोनियों में पानी भर गया। तटबंधों का निर्माण गरीबों के साथ छलावा है। इससे मिथ्या सुरक्षा की भावना पैदा होती है। भारत में एक के बाद एक बाढ़ और तटबंधों में दरारों ने जान–माल को भारी नुकसान पहुंचाया है। तटबंधों की सुरक्षा के मुगालते में उनके आस–पास विकास होने लगता है। जब ये तटबंध नाकामयाब होते हैं तो भयंकर परिणाम होते हैं। क्योंकि पूरे तटबंध का दवाब एक स्थल पर केन्द्रित हो जाता है, और लोग भौचक्के रह जाते हैं।

शायद यह राज्य सरकार के लिए कुदरत की चुनौती थी कि वह राष्ट्र मंडल खेल 2010 के लिए राजधानी को सजाने और साथ ही बाढ़ नियन्त्रण और संकट ग्रस्त आबादी को बचाने के लिए क्या करती है। आने वाले एथलीटों और अधिकारियों के लिए खेल गांव के निर्माण और सुरक्षा के लिए तो सब दौड़–धूप कर रहे थे, लेकिन बाढ़ पीड़ितो को राहत के लिए न के बराबर प्रयास किए जा रहे थे। यमुना के आसपास निचले इलाकों मे बसे ये लोग पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रवासी है, और इन इलाकों में दशकों से रह रहे हैं। ये इलाके यमुना बाढ़ में पूरी तरह से जलमग्न हो गये।

ळळळळळळ

निष्पादन सारांश

हर घंटे बढ़ते जल स्तर ने नदी के तट पर रहने वाले लोगों को हक्का–बक्का कर दिया। पीड़ितों ने अनियन्त्रित नदी के बढ़ते जल स्तर पर नजर जमाए रखी। नदी की आगे की स्थिति और उसके प्रभाव के बारे में उनकी भविष्यवाणी के मुकाबले और कोई भविष्यवाणी सटीक नहीं हो सकती थी। वे वर्षों से पानी के बीच रह रहे हैं। पानी मकानों में घुस चुका था। पानी ने आदमियों द्वारा तैयार किए गये बैरियरों को तोड़ दिया था और वहां नदी तल पर कॉलोनियों में फैल गया था। पानी घुटनों से उपर आ गया था। इन कॉलोनियों में पक्के घरों में रहने वाले लोग तो अपने सामान के साथ छतों पर चढ़ गये थे। लेकिन झोपड़ियों में रहने वाले लोग अपने घरों की तरह लगभग गायब हो गये। कुछ अपने गांवों को लौट गये और कुछ ने अपने परिवारों को अपने गृह नगर भेज दिया था। कुछ ने पुल के नीचे, बांधों पर, पटरी पर शरण ली और अन्यों ने राहत शिविरों की राह पकड़ी।

एन.डब्ल्यू.डी. की सहायता निगरानी सर्वेक्षण एक सप्ताह 19 से 25 अक्टूबर तक चली। इसमें तीन स्थानों पर झुग्गी–झोंपड़ियों में 409 परिवारों को कवर किया गया। इन झुग्गी–झाोपड़ियों में बुरी तरह से प्रभावित परिवारों में 79% परिवार दलितों के थे। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों के 14% परिवार थे। यमुना बाढ़ ने अपने तल पर प्रत्येक झोंपड़ी को नष्ट कर दिया था। दलितों में से अधिकांश उत्तर प्रदेश (42%) और बिहार (18%) के प्रवासी हैं, जो आजीविका के अवसरों की तलाश में दिल्ली में बस गये , इनमें से ज्यादातर लोग आधी सदी से अधिक समय से दिल्ली में रह रहे हैं।

सर्वेक्षण के दौरान राहत कार्यों में भारी कमियों और बचे लोगों को गहरे नुकसान की जानकारी मिली। बाढ़ में बचे लोगों को मुआवजे और हकदारी की जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा इस बारे में अभी तक घोषणा नहीं की गई है। कुल में से 75% परिवार (सर्वेक्षण किए गये क्षेत्र में) नदी तल पर पट्टा खेती करते हैं और उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी मौसमी सब्जियों की फसल खत्म हो गई। मालिकों को दी गई लीज एडवांस भी चली गई है। उन्हें मूलधन पर ब्याज अदा करते रहना होगा। उन्होने जो बोया उसे वे काट न सके। पशुधन वालों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। 24% परिवारों को चारे की जबरदस्त कमी झेलनी पड़ी। उन्हें जहां–तहां चारे के लिए अपनी स्त्रियों को दौड़ाना पड़ा। 20% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें 150–250 रूपये प्रति गट्ठर के दाम पर चारा खरीदना पड़ा। अन्यों ने बताया कि उन्हें सार्वजनिक उद्योगों से घास काटने के लिए गेट कीपरों को घूस देनी पड़ी।

23% पीड़ितों ने बताया कि उन्हें पर्याप्त और अच्छा खाना नहीं मिला। जिन दिनों दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर गायब हो जाते , उन्हें बाढ़ग्रस्त नदी से पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता, जिससे विशेष रूप से बच्चों में बीमारी फैल गई। 43% को सरकारी ऐजेंसी सहित किसी भी ऐजेंसी से चिकित्सा सेवा नहीं मिली। यह इसलिए कि या तो कोई पराचिकित्सक या चलते–फिरते चिकित्सा शिविर नहीं थे या फिर राहत शिविरों से ये लोग दूर स्थित थे। पीड़ितों को चिकित्सा सेवा नहीं दी गई। (वे अपने परिवारों के लिए राहत शिविर की व्यवस्था नहीं कर सके।) बच्चे बाढ़ के मूक और निर्दोष पीड़ित थे। 51% उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों के स्कूल के सामान के नुकसान की बात कही जिसके बगैर वे बाढ़ के बाद भी स्कूल नहीं जा सके।

मूलभूत सुविधाएं सरकार के अपने मानदण्डों के हिसाब से भी उपलब्ध नहीं थीं। 68% उत्तरदाताओं ने शौचालयों और 89% ने नहाने की सुविधाओं के अभाव की बात कही। इसके साथ साथ राहत सामग्री में गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली मांओं के लिए अनुपूरक भोजन, शिशुओं के लिए कपड़ों, बच्चों के लिए भोजन, महिलाओं एवं विशेषरूप से किशोरियों के लिए आरोग्यकारक वस्तुओं का अभाव था। उनकी सुरक्षा और सम्मान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मकानों और दूसरी चीजों के चले जाने से बहुत मानसिक वेदना थी। बच्चों के मामले में बात केवल स्कूल के सामान के चले जाने की ही नहीं थी बल्कि शिक्षा खत्म हो जाने की थी, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए।

पीड़ितों पर पड़े बाढ़ के प्रभाव को इस रिर्पोट में इस्तेमाल किए गये शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका सब कुछ चला गया है और वे अपनी हकदारी के विषय में किसी प्राधिकारी से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते। नुकसान के बारे में किसी सरकारी जायजे के बारे में पूछे जाने पर 98% ने ऐसे किसी कदम से इन्कार किया। इस अध्ययन में तथ्यों को पिरोया जाएगा और सटीकता के साथ बताया जाएगा कि इस वर्ष अभूतपूर्व यमुना बाढ़ से समुदायों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालाकि इस बाढ़ का पैमाना इतना विशाल नहीं है, फिर भी पीड़ितों पर प्रभाव अद्भुत है। तथ्यों के विवेचनात्मक मूल्यांकन से पता चलेगा कि पीड़ितों के जान–माल की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार का तंत्र और उसके कदम कितने कामयाब रहे।

1. आधार

बिहार (2008), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम (2009) के अपने अध्ययनों से प्राप्त अनुभवों और यमुना बाढ़ के बारे में बराबर मीडिया सूचना के मद्देनजर एन.डी.डब्ल्यू. ने कुछ प्रभावित क्षेत्रों का तथ्य खोजी दौरे करने का निश्चय किया। इन दौरों के निष्कर्षों से पीड़ितों की दुर्दशा सामने आई, जिन्होने बाढ़ के कारण अपनी थोड़ी सी आजीविका और फसलें गंवा दीं। पट्टा भूमि पर काम करने वाले दलित परिवारों के अनुसार नदी तल पर पूरी खेती के बरबाद हो जाने से लाखों रूपयों का नुकसान हुआ। लेकिन बाढ़ से नुकसान के बारे में कोई सरकारी आंकड़े सार्वजनिक रूप में नहीं आए हैं। पीड़ितों के साथ प्रारंभिक बातचीत से बाढ़ और सरकारी पहलों के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित करने के लिए सप्ताह भर के सर्वेक्षण के बारे में सोचना जरूरी हो गया।

देश की राजधानी होने के नाते यहां जाति आधारित भेदभाव की गुप्त सच्चाई को स्वीकार करना सबके लिए मुश्किल है। यहां तक कि पीड़ितों ने भी इस बारे में सहजता के साथ बात नहीं की। लेकिन यह एक सच्चाई है। 'अकारण भेदभाव' यमुना बाढ़ के दौरान ही नहीं बल्कि बाढ़ से पहले भी पूरे जोरों पर था और पीड़ित बहिष्कार की इन सूक्ष्म प्रथाओं से वाकिफ नहीं थे। बहरहाल, बाद में उनके उत्तरों से अध्ययन इस निष्कर्ष के नजदीक पहुंच गया कि दलितों और हाशिए पर पड़े दूसरे लोगो को एक बार फिर मार झेलनी पड़ी। यह पाया जाना कि इन पीड़ितों तक वैसे भी किसी योजना का लाभ नहीं पॅहुचा है। अकारण भेदभाव के तथ्य की पुष्टि करता है।

इस अध्ययन के लिए यमुना नदी के किनारों पर स्थित तीन स्थलों अर्थात् शास्त्री पार्क, चिल्ला खादर, मयूर विहार फेज–1 और विजयघाट को चुना गया।यमुना बाड़ के पीड़ित अधिकांशतः प्रवासी हैं जो यमुना नदी तल पर या उसके आसपास रहते हैं और खेती करते हैं। उन्हें इस भूमि से निकाले जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। विस्थापित किए जाने के डर से वे हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं।

यह अध्ययन पहले से ही स्थापित आपदा जोखिम शमन हस्तक्षेपों के मामले में दलितों और अन्य सीमांत वर्गों के साथ भेदभाव और बहिष्कार के स्थापित और स्पष्ट तत्वों पर गहन शोध करने की कोशिश है। यह अध्ययन नदी किनारे रहने वाले हजारों लोगो के जीवन पर यमुना बाढ़ के जबरदस्त प्रभाव को समझने के लिए व्यवस्थित अध्ययन है। इस अध्ययन में बाढ़ का शिकार बना देने वाली इन लोगों की पहले से ही मौजूद कमजोरियों, उनकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, स्थलाकृति, उनकी पहले से बदहाल स्थिति को बाढ़

द्वारा और भी बदहाल कर दिए जाने की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। सर्वेक्षण में दलित परिप्रेक्ष्य और महिला तथा बाल परिप्रेक्ष्य में निकासी से लेकर राहत व्यवस्था तक पूरी सेवाओं की समीक्षा की गई है ताकि सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता का जायजा लिया जा सके और यह देखा जा सके कि उन्हें सम्मान के साथ क्या प्रदान किया गया। इसके अलावा सर्वेक्षण में नुकसान का मोटे तौर पर जायजा लिया जाएगा और साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या बाढ़ के बाद अधिकारियों ने उनके नुकसान का वैज्ञानिक जायजा लिया और इस तरह का जायजा न लिए जाने को लेकर बाढ़ पीड़ितों के क्या विचार हैं। सरकार के राहत कार्य पर पीड़ितो के विचारों को जानने की भी कोशिश की जायेगी।

2. विधि

2.1. तथ्य खोजी(फैक्ट फाइंडिंग) दौरे, 9–15 सितम्बर 2010

सर्वेक्षण से पहले बटाला हाउस में धोबीघाट, यमुना बाजार, निगमबोध घाट, शास्त्री पार्क, डी.एन.डी., टॉल ब्रिज, लक्ष्मीनगर, लोहे का पुल स्थापित राहत शिविरों में (ठोकर संख्या 21), मयूर विहार फेज–1, उस्मानपुर तीसरा पुश्ता और वजीराबाद पुल के तथ्य खोजी दौरे किए गये। शिविरों में बाढ़ से बचे लोगों के साथ संक्षेप में बातचीत की गई। तथ्यखोजी दौरों के दौरान बचे हुए लोगों में अपनी दलित पहचान को बताने में हिचक सामने आई। कुछ मामलों में उन्होने अपना पूरा नाम नहीं बताया ताकि अंतिम नामों से उनकी पहचान सामने न आ जाए। लोग आतंकित थे और एक पल में अपने घर, फसल, सब कुछ गंवा देने पर कांपती आवाज में गुस्सा भी प्रकट कर रहे थे।

2.2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन

तथ्य खोजी दौरों के शीघ्र बाद 21 सितम्बर 2010 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन किया गया। आवेदन प्रमुख सचिव (राजस्व) व मंडल आयुक्त, दिल्ली को किया गया। इसमें प्रभावित क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर नागरिकों की जरूरतो को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी स्तर और आपदा कार्रवाई की प्रभावशीलता के बारे में सूचना मांगी गई जो कि आवेदन पत्र में बाढ़ नियन्त्रण पहलुओं और आपदा कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं के बारे में सटीक और विस्तृत जानकारी मांगी गई। दिल्ली सरकार के ''बाढ़ नियंत्रण आदेश 2009'' के अंतर्गत करना ही था।

2.3. सरकारी ऑर्डर एकत्रित करना

आर.टी.आई. के अन्तर्गत तत्काल सूचना न मिलने के कारण सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.), एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार और अधीक्षक इंजीनियर बाढ़ सर्किल–1, दिल्ली सरकार के कार्यालयों और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाए गये। लेकिन अधिकारी राष्ट्रमंडल खेलों के सिलसिले में बाहर थे। केवल पूर्व एस.डी.एम. से मुलाकात हो

सकी जिसने बाढ़ पीड़ितों को राहत और मुआवजे के बारे में कोई सूचना या सरकारी आदेश की जानकारी देने से इन्कार कर दिया। इस जानकारी से पीड़ितों को हुए नुकसान एवं सरकार द्वारा घोषित मुआवजे में तुलना करने में आसानी होती। लेकिन सूचना के अभाव में सर्वेक्षण को रोकना ठीक नहीं रहता। इसलिए सर्वेक्षण शीघ्र शुरू कर दिया गया।

2.4. सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रों का चयन

हालांकि तथ्य खोजी दौरों में बाढ़ से डूबे सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया गया था, लेकिन सर्वेक्षण के लिए उन बाढ़ क्षेत्रों को चुना गया जहां भारी संख्या में झोंपड़ियां थी जो कि निसंदेह सबसे अधिक प्रभावित थे। इनमें मयूर विहार फेज–1 (चिल्ला खादर और पंटून पुल रोड), विजयघाट और शास्त्री पार्क थे। इस अध्ययन के पीछे मंशा यह थी कि पता लगाया जा सके कि यमुना बाढ़ पर नियन्त्रण और पीड़ितो को राहत सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों ने अपनी आधार भूत संरचनाओं और प्रणालियों की सहायता से क्या कार्रवाई की है।

2.5. प्रश्नावली

तथ्य खोजी दौरों से प्राप्त सूचना के आधार पर अर्ध संरचित प्रश्नावली डिजाईन की गई। अर्ध संरचित प्रश्नावलियों से ऐसी सूचना कुछ विस्तार के साथ प्राप्त करने में मदद मिली जो एक विकल्प चुनने की विधि से कारगर रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती थीं। इसमें राहत शिविरों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं की मौजूदगी/अभाव, राहत के दौरान समावेशन/बहिष्कार/भेदभाव के बारे मे पूछा गया । सर्वेक्षण में शिविरों में महिलाओं के प्रति हिंसा की किन्हीं घटनाओं के विषय में भी पूछा गया। दलित आवासों पर सरकारी अधिकारियों के दौरों के बारे में भी पता लगाया गया और सरकार द्वारा उनके क्षति व नुकसान दौरे न किये जाने के कारणों के बारे में पीड़ितो के विचारों की भी जानकारी ली गई।

2.6 जांचकर्ताओं का चयन और समुदाय में प्रवेश

स्थान पहचान के बाद दलित बस्तियों के सर्वेक्षण का अनुभव रखने वाले छह वॉलन्टियरों को चुना गया। ये वॉलन्टियर दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में स्थित दलित और हाशिए की बस्तियों में कार्यरत हैं। महिला वॉलन्टियरों की संख्या बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया ताकि राहत के चरणों में महिलाओं की दिक्कतों और अन्य सरोकारों को दर्ज किया जा सके। इसलिए छह वॉलन्टियरों मे चार महिलाओं को सुविचारित रखा गया।

इसके बाद इन वॉलन्टियरों को सर्वेक्षण के लिए पहचाने गये स्थानों पर ले जाया गया ताकि वे इन बाढ़ प्रभावित दलित और सीमांत पीड़ितों की जीवन दशाओं को देख सकें। ये पीड़ित वर्षों पहले दिल्ली आए थे

लेकिन अभी भी सरकारी रिकार्ड में गुमनाम जिन्दगी जी रहे हैं। समुदायों और वॉलन्टियरों का एक दूसरे से परिचय कराया गया। वॉलन्टियरों को प्रभावित परिवारों तक पहुंचने मे लोगो की मदद मांगी गई। पीड़ितो को सर्वेक्षण के उद्देश्यों के विषय में भी बताया गया ताकि दोनों पक्ष आपस में बात करते समय सहज और विश्वस्त महसूस करें।

2.7 प्रारंभिक जांच और जांचकर्ता को प्रशिक्षण

सर्वेक्षण के लिए तैयार किए गये सवालों की प्रासंगिकता की जांच जरूरी है ताकि अपेक्षित संशोधन किए जा सकें। चूंकि दिल्ली की स्थिति दूसरे राज्यों में ग्रामीण दशाओं से भिन्न है और दिल्ली राजनैतिक केन्द्र है तो आरंभिक जांच जरूरी थी। इसलिए प्रश्नावली की कुछ परिवारों पर प्रारंभिक जांच जरूरी थी। दो वॉलन्टियरों को विजयघाट ले जाया गया और चार परिवारों से प्रश्नावली के आधार पर प्रश्न पूछे गये। इससे पीड़ितों के तत्काल सरोंकारों को शामिल करने के उद्देश्य से प्रश्नावली में आवश्यक संशोधन करने में मदद मिली। वॉलन्टियरों को भी अनुभव मिला कि हाल में आपदा झेलने वाले परिवारों की भावुकता और व्यक्गितता का सम्मान करते हुए उनका किस तरह से इन्टरव्यू लिया जाए।

वॉलन्टियरों को क्षेत्र जानकारी के अलावा उन्हें फाईनल प्रश्नावली पर अभ्यस्त बनाया गया। साथ ही उन्हें सत्ता गति का बोध कराया गया अन्य संभावित स्थितियों तथा सर्वेक्षण के दौरान भूस्वामियों या अन्य प्रभावशाली जाति से संभावित विरोध के विषय पर भी चौकस किया गया। नेशनल दलित वॉच के अन्तर्गत की गई अन्य समावेशन (इन्क्लुजन) निगरानी अध्ययनों के उद्देश्यों के विषय में भी उन्हें जानकारी दी गई और पहले के निगरानी अध्ययनों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। यह जानकारी बैठक सर्वेक्षण से एक दिन पहले 18 अक्टूबर को आयोजित की गई।

3. आंकड़ों का संग्रह

अध्ययन में संग्रहित और विश्लेषित डाटा सर्वेक्षण के जरिए क्षेत्र से लिया गया है, यह प्राथमिक डाटा है। इस डाटा को एन.डी.डब्ल्यू. के मौजूदा समावेशन (इन्क्लुजन) निगरानी अध्ययनों, ई–न्यूज मदों और पत्रिकाओं द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। कुल मिलाकर इन सूचनाओं के गौण स्रोतों से अतीत में बाढ़ के प्रभाव और पूर्व में यमुना के क्षेत्रों से लोगों को निकाले जाने की घटनाओं के बीच संपर्क का पता चलता है और बाढ़ पीड़ितों की पहले से ही मौजूद कमजोरियों का ज्ञात होता है। पिछले 10 वर्षों से भी अधिक से चल रहे निष्कासन और विध्वंस की घटनाओं पर विचार किए बगैर इस अध्ययन के निष्कर्षों में बचे लोगों की वास्तविक कमजोरियों और दुदर्शा को उचित तरीके से संपादित नहीं किया जा सकता था।

सर्वेक्षण शुरू करने से पहले स्थानों का दौरा किया गया और समुदायों से सीधे संपर्क किया गया। जांचकर्ता कुछ परिवार प्रमुखों से मिले और उन्हें अध्ययन के उद्देश्य के विषय में बताया गया ताकि हाल की बाढ़ की वास्तविकता के मद्देनजर उनका विश्वास अर्जित किया जा सके। इससे उत्तरदाताओं से विश्वसनीय सूचना मिली। उनके लिए पहलीबार ऐसा कुछ था कि कोई उनकी पीड़ा को और तकलीफों को सुनने के लिए आया था। लेकिन उन्हें कोई ऊंचे वायदे करने और पुख्ता आश्वासन देने से बचने के लिए एहतियात बरती गयी।

क. मात्रात्मक अध्ययन

एक सप्ताह में मयूर विहर फेज–1 पंटून पुल और चिल्लाखादर के 207 परिवारों, शास्त्री पार्क के 86 परिवारों और विजयघाट के 115 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। इन क्षेत्रों में प्रवासी और स्थानीय दोनों ही वर्गों में दलित सबसे बड़ा समुदाय निकला ।

इन क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के जीने और आजीविका के पैटर्नों तथा नुकसान के स्वरूप का अध्ययन किया गया। मोबाईल शौचालयों की उपलब्धता जैसी आपात राहत सेवाएं विशेष रूप से महिलाओं और विक्लांग लोगों को उनकी उपादेयता, बच्चों के स्कूली दिनों के नुकसान की संख्या, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं को सुविधाएं औंर सामान – इन सब पहलुओं को मात्रात्मक डाटा के संग्रहण में शामिल किया गया।

ख. गुणात्मक अध्ययन

अध्ययन के गुणात्मक पहलू के अंतर्गत बाढ़ पीड़ितों के जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को जानने का अभ्यास किया गया है। यह पाया गया हैं, कि सर्वेक्षित क्षेत्रों में बहुसंख्यक परिवार व्यथित दलितों के हैं। एक छोटा अनुपात ओ.बी.सी. और मुसलमानों का हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विशेष आपदा स्थिति में पीड़ितों के मौजूदा हालातों को उनके वास स्थान के संदर्भ में समझने में सहायता मिली। बाढ़ प्रभावित समुदायों में यमुना बाढ़ से भी पहले और उसके दौरान दलित बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दूर मामूली शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतों का ज्ञात हुआ। सामाजिक प्रथाओं और दशाओं को पीड़ित समुदाय से जानने और महिलाओं की दुर्दशा की जानकारी भी मिली।

कुछ सवालों को लेकर गहराई से जांच की गई जिससे डाटा को समृद्ध बनाने, महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजने और कभी – कभी नए सवाल उठाने में सहायता मिली।

ग. केस अध्ययन (केस स्टडी)

इस आपदा के दौरान दलितों के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव की जानकारी एक अन्य माध्यम अर्थात् केस अध्ययनों से भी प्राप्त की गई। इस तरह की विपत्तियों के दौरान समाज के विभिन्न धड़ों को मानवता की खातिर एक जुट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां भी प्रबल वर्ग और प्रशासन ने दलितों और सीमान्त समुदायों की तकलीफों को बढ़ाया।

4. डाटा विश्लेषण और रिर्पोटिंग

संपादन और कोडिंग

भरी हुई प्रश्नावलियों की समीक्षा की गई। सूचना प्राप्त करने में कमियों को पहचान कर दूर किया गया। उत्तरों को वर्गीकृत और कोडबद्ध किया गया। फाईनल उत्तरों को सर्वेक्षण के दौरान ही कोडबद्ध कर दिया। अन्य उत्तरों को डाटा संग्रह का कार्य पूरा हो जाने के बाद कोडबद्ध किया। एक कोडबुक तैयार की गई। डाटा संग्रह चरण, उत्तरों की हाथ से कोडिंग या डाटा प्रविशिष्ट के समय किसी कोडिंग गलती का पता लगाने के लिए कोडबुक की क्रास जांच की गई। डाटा प्रविष्टि और उसकी यथासंभव जांच के बाद उसे एक्सल फार्मूला के जरिए सांख्यकीय प्रस्तुतियों में तबदील किया और पाईचित्रों में प्रस्तुत किया गया जिससे समझने में आसानी रहे।

दो या अधिक चरों (वेरियेबल्स) के बीच संबंध को पूरी रिर्पोट में निष्कर्षों के क्रॉस टेबुलेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार विभिन्न चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित किया गया है। क्रॉस टेबुलेशन में कवर किए गये चर हैं – पहले से मौजूद कमजोरी बनाम बाढ़, नदी से समीपता बनाम नुकसान की मात्रा, पूर्व चेतावनी बनाम नुकसान की मात्रा, प्रसूति कक्ष सुविधा का अभाव बनाम अनिश्चित प्रजनन स्थितियां, आंगनवाड़ियों का अभाव बनाम स्कूल में कम बच्चों का दाखिला और पट्टा रकम और फसल नुकसान बनाम कर्जदारी। उन तत्वों को देखना भी जरूरी है जो जटिल सामाजिक स्थिति को सामने लाते हैं। इसलिए सर्वेक्षण निष्कर्षों से बाढ़ के परिणामों की सही तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी।

रिर्पोट लेखन

सर्वेक्षण रिर्पोट में पूरी सर्वेक्षण डिजाईन, निष्पादन और सर्वेक्षण के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है। इस से पाठकों को इस अध्ययन की पूरी क्रियाविधि तथा उसके तरीकों को समझने में मदद मिलेगी। यह अध्ययन दिल्ली में आई यमुना बाढ़ पर संभवतः पहला बेस लाईन समावेशन (इन्क्लुजन) निगरानी सर्वेक्षण हैं।इस अध्ययन के निष्कर्षों से निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन में समावेशी नीतियों और कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति और पैरवी एजेंडा तैयार करने में सहायता मिलेगी। संक्षेप में यह एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसका भविष्य में इस तरह की स्थिति की समीक्षा करते समय हवाला दिया जाएगा।

5. पहले से मौजूद कमजोरियां

दिल्ली विशाल महानगरीय प्रकृति वाला नगर है। यह ग्रामीणों को आने और काम के वास्ते रूक जाने के लिए आकर्षित करता है। दिल्ली लाखों प्रवासियों का घर है जो रोजगार के अवसरों की तलाश में इस महानगर में आते हैं। वे दिल्ली के न रहने योग्य किनारों में बस जाते हैं क्योंकि अपनी मामूली मजदूरी के बल पर वे केवल यहीं रह सकते हैं। वे रिक्शा चलाने अनियमित मजदूरी और यमुना तल पर खेती का काम करते हैं। महानगरों में बहुत बड़े उद्योग होते हैं। इसलिए वे निर्माण स्थलों आदि पर उद्योगों की सस्ते श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। लगभग सभी अंसगठित क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। और अपने दूर गांवों में अल्प मजदूरी रकम भेजकर अपने परिवारों को पालते हैं।

यमुना पुस्ता वह जगह है जहां नदी के किनारे बस्तियां बन गई हैं, जहां प्रवासी आबादी का दशकों से वास है। वे कोई न कोई काम करके वर्षों से यहां रह रहे हैं। यमुना पुस्ता में शामिल हैं – विजयघाट, शास्त्री पार्क, डी.एन.डी. टॉल ब्रिज, नोएडा, लक्ष्मीनगर, लोहे का पुल, मयूर विहार, उस्मानपुर, सीलमपुर और वजीराबाद क्षेत्र जहां दिल्ली में अभूतपूर्व यमुना बाढ़ के बाद इस निगरानी सर्वेक्षण से पहले तथ्य खोजी दौरे किए गये। दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार यमुना पुस्ता क्षेत्र ''बाढ़ प्रवण'' हैं और वहां आधारभूत संरचना के लिए स्थान नहीं हैं। यह कारण देकर प्रवासियों को यहां से हटा दिया गया हैं और दिल्ली के बाहरी दूर–दराज के इलाकों में भेज दिया गया जहां जीवन यापन के कोई अवसर नहीं हैं। इसके विपरीत कुछ प्रसिद्ध इमारतें जैसे कि विशाल अक्षरधाम मंदिर, खेलगावं और दिल्ली की जीवनरेखा, मेट्रो रेल इसी यमुना तल पर स्थित है। अक्षरधाम मंदिर और खेलगांव के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करते समय दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया कि पूर्वी दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए 1955 में यमुना तट पर बांध बना दिया गया था जिसके बाद यह भूमि बाढ़ क्षेत्र से बाहर आ गई हैं। लेकिन तट बंध बनाने ओर असुरक्षित क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की इस विचारधारा को कई बार झटका लगा हैं।

यमुना नदी के आसपास बहुत सी गैर कानूनी इमारतें बन गई हैं। लेकिन केवल इन्हीं गरीब प्रवासियों को ''एनक्रोचर''(अनाधिकारी) माना गया है। सरकार ने लम्बे समय से रह रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के आवास वाले इन क्षेत्रों को अनधिकृत बस्तियां और अवैध निवासी घोषित कर दिया हैं। इसीलिए इस रिर्पोट में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना जरूरी हो गया है जिससे इस विशाल महानगर की कुछ कुरूप वास्तविकताएं उजागर हो जाए। अध्ययन के निष्कर्षों को केवल तभी पूरी तरह से समझा जा सकेगा जब उन्हें लगातार हो रहे निष्कासन और क्षेत्र में गंदी बस्तियों (झोपड़ियों) के पूरी तरह नष्ट किए जाने के तथ्यों के साथ जोड़ा जाएगा। इस स्थिति को नदी के किनारे रह रहे और नदी तल पर खेती कर रहे प्रवासी पीड़ित आज भी झेल रहे हैं। इन घटनाओं के निशान अभी भी बाढ़ पीडितों की गहरी यादों मं बसे हैं।

मार्च 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर कानूनी निर्माण के रूप में गंदी बस्तियों और झुग्गियों को गिराने का निष्ठुर आदेश जारी किया। तब और आज भी प्राधिकारी उन्हें ''एनक्रोचर'' बता रहे हैं जो ''पवित्र'' यमुना नदी को दूषित कर रहे हैं। जबकि इस क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो लाइनें बिछ रहीं थीं और पास में ही अक्षरधाम मंदिर बन रहा था, लेकिन प्राधिकारियों ने केवल झुग्गियों को ही तोड़ा। 100,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। हजारों बच्चों की शिक्षा हिंसक तरीके से छूट गई और बेघर लोगों की आजीविका चली गई। पुनर्वास के स्थान पर आजीवकिा के साधन नहीं थे। प्राधिकारियों के अनुपयुक्त तरीके से सशक्त बना देने वाले इस न्यायालय आदेश के बाद कई मनमानी गिरफ्तारियां और अवैध नजरबंदी हुई। बहुत से बेकसूर लोगों को कैद कर दिया गया। झूठे मामलों में फंसा दिया गया और उनके घरों को जला दिया गया। इन निष्कासितों को बगैर किसी पुनर्वास के बवाना और होलंबी कलां आदि में दिल्ली के दूर दराज के गांवों में फैंक दिया गया। नदी के तल पर बसे इन लोगों के राशनकार्ड एक साथ रद्द कर दिए गये।

इन निष्कासितों को वी.पी.सिंह सरकार के काल में राशनकार्ड और वोटर पहचान कार्ड जारी किए गये थे। उनको फिर से बसाने के लिए पात्रता के वास्ते ये आवश्यक दस्तावेज थे। लेकिन 2002 में पहले के राशनकार्डों को रद्द करने के बाद नये बी.पी.एल. कार्ड जारी किए गये। विजयघाट में जब बाढ़ पीड़ितों से पूछा गया कि पीडीएस के लिए उनके पास राशनकार्ड है या नहीं तो उन्होने यही इतिहास दोहराया। क्षेत्र में सभी उत्तरदाताओं के राशनकार्ड 2002–2003 के दौरान रद्द कर दिए गये थे। प्लॉट तैयार न होने और पुनर्वासित क्षेत्र में आजीविका के साधन न होने के कारण अपुनर्वासित लोग इन इलाकों में रह कर अब भी जीविका चला रहे हैं।

शास्त्री पार्क में उत्तरदाताओं ने बताया कि आसपास स्कूल न होने के कारण वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। पुलिस उन्हें अपनी झुग्गी नहीं बनाने देती इसलिए बहुत से परिवार सीलमपुर और उस्मानपुर में गंदी बस्तियों और कॉलोनियों में किराए पर रहने के लिए बाध्य हो गये हैं। पुलिस द्वारा लगातार परेशान किए जाने से वे आसानी से संकटों और आपदाओं के शिकार बन जाते हैं, जो किराए के मकानों मे जा सकते थे, वे चले गए, बाकी लोग अस्वच्छ और अनिश्चित दिशा में इसी तरह से रह रहे हैं। इन सामाजिक और भौगोलिक कमजोरियों और अधिकारहीनता ने इन्हें पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनकी भूमि पर रहने के लिए दिल्ली नगर निगम और प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ का सरल शिकार बना दिया है।

इस लिए इस अध्ययन को इसी पृष्ठभूमि में देखना और समझना जरूरी है। तीन स्थलों पर सर्वेक्षित 409 परिवारों ने विस्थापन और पुनर्वास के दिल्ली के इतिहास के इस अध्याय को भोगा है। इन घटनाओं ने उन्हें कई तरह से कमजोर बना दिया है। इन्हें समय–समय पर शासकीय मार झेलनी पड़ी है। अपनी झुग्गियो को फिर से बनाने के लिए उन्हें छोटे पुलिसकर्मियों को रिश्वत देनी पड़ती है। युमना बाढ़ ने उनकी

तकलीफों को कई गुना बढ़ा दिया है। इसने अपने ही नागरिकों से निपटने में दिल्ली सरकार के बदरंग पहलू को उजागर कर दिया है।

पीड़ितो की विवादित पहचान

यह नोट करना प्रासंगिक है कि शास्त्री पार्क में 37% और मयूर विहार में 56% उत्तरदाताओं के पास राशनकार्ड हैं जबकि विजयघाट पर 2002–03 में पूरी आबादी के राशनकार्ड रद्द कर दिए गये थे। सर्वेक्षण स्थलों पर अधिकांश पीड़ितो के पास वोटर पहचान कार्ड हैं लेकिन वे अपने हक और पहचान का दावा करने में हिचकते हैं। बाढ़ से पहले और इसके दौरान जो भी नुकसान और मुसीबतें उन्होने झेली हैं और अब जो जीवन बसर कर रहे हैं इस समावेशन (इन्क्लुजन) अध्ययन के तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा।

ळळळळळळ

6. निष्कर्ष

क. सामाजिक और भौगोलिक स्थिति

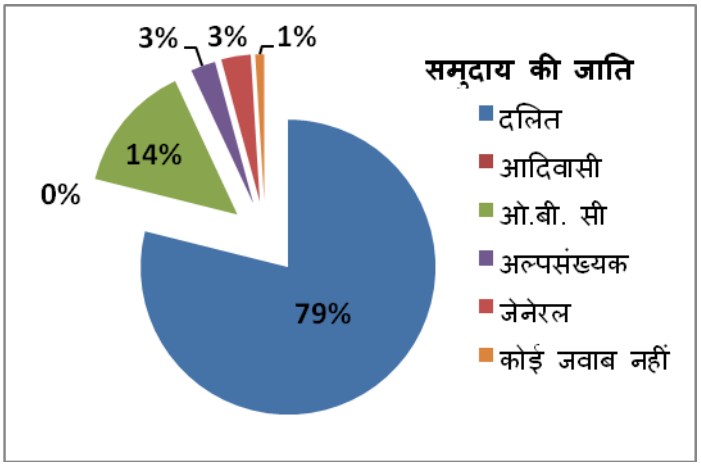

सेंन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर ऑथोरिटी के अनुसार दिल्ली में 97 वर्ग कि.मी. बाढ़ क्षेत्र हैं। 1884 से नदी ने लगभग पांच–छह बार अपने मार्ग को बदला है जिससे बाढ़ क्षेत्र में और भूमि जुड़ गई है। सामाजिक और भौगोलिक स्थिति किसी भी आपदा के पीड़ितों के नुकसान और क्षति की मात्रा को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाढ़ की घटनाओं में यह और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जहां दलित और हाशिए पर पड़े कुछ समुदाय नदी के तल और बांधों पर रह रहे होते हैं। बाढ़ की स्थितियों में उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली में यमुना बाढ़ के मामले में यदि यह स्थिति गलत सिद्ध हो जाती है तो यह राहत की बात होती लेकिन इन झुग्गी–झोंपड़ियों में सबसे बुरी तरह से प्रभावित परिवारों में 79% दलितों के थे और 14% ओ.बी.सी. के थे।

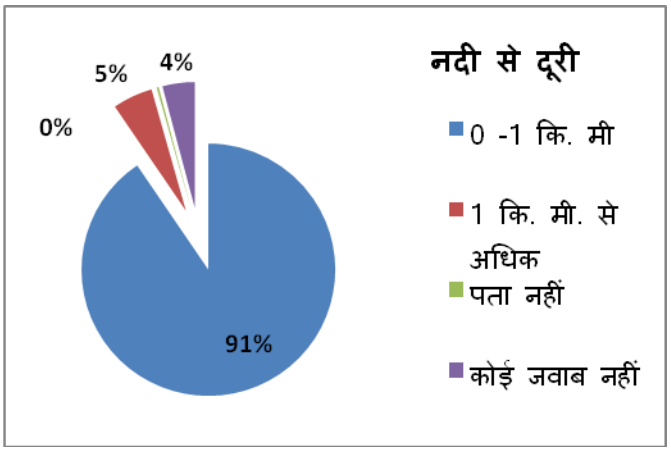

यमुना बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित झुग्गियों में से 91% नदी की एक किलोमीटर से कम परिधि के भीतर थीं जिसकी वजह से 89% घरों को भारी नुकसान हुआ या वे बह गए। दलितों में अधिकांशतः उत्तर प्रदेश (42%) और बिहार (18%) के निवासी हैं जो स्थायी जीवन और नियमित आजीविका के अवसर के लिए मुख्यधारा से बहिष्कृत दिल्ली में बस गए हैं और गुजारे के लिए छोटे–मोटे काम करते हैं। विजयघाट में उत्तरदाताओं ने बताया कि अपनी यादाश्त के अनुसार वे बहुत वर्षों से यहां रह रहे हैं। 115 उत्तरदाताओं में से 92% स्वयं को दिल्ली वासियों से कम नही मानते हैं और उनके पास वोटर पहचान कार्ड हैं। वे सरकारी अधिकारियों द्वारा निकाल दिए जाने और पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के भय से साए में यहां रहते हैं। बहुत कम सुविधाओं और न्यूनतम आजीविका विकल्पों के साथ दलित और सीमांत वर्ग यमुना के बाढ़ मैदान में खेती करते हैं और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

ख. आपदाग्रस्त न्यूनतम आजीविका विकल्प

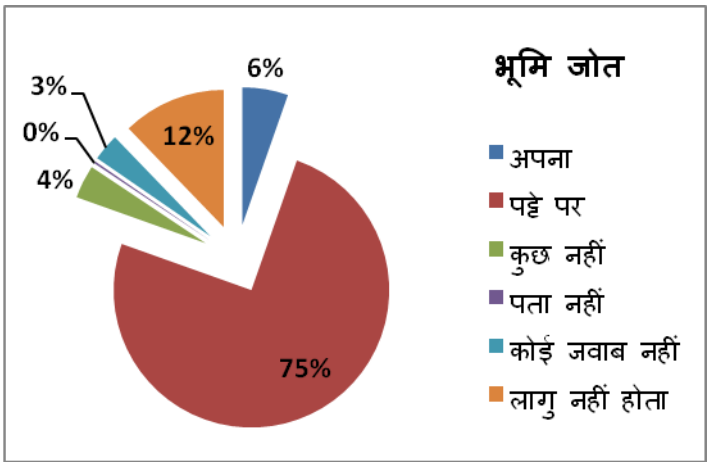

यमुना तल की उपजाऊ मिट्टी जो मौसमी सब्जियों, गेंहू जैसे अनाजों ओर गन्ने जैसी नकदी फसलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। 75% परिवार मूल रूप से पट्टा खेती करते हैं और 12% दैनिक मजदूरी करते हैं। कभी–कभी खेती करने वाले परिवार भी अपनी आय को बढ़ाने के लिए दैनिक मजदूरी करते हैं। खेती के वास्ते जमीन प्राप्त करने के लिए किसान भूस्वामियों को बहुत बड़ी रकम वार्षिक और छमाही किराए के रूप में अदा करते हैं। यह रकम पट्टा राशि चुकाने और कृषि की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिचितों से ब्याज पर उधार ली जाती है। दिल्ली में उनके पास यही व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध हैं। अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए वे भारी रकम देकर हाईब्रिड बीज, कीटनाशक और खाद खरीदते हैं। (पट्टा राशि प्रति बीघा भूमि और उसके गुणजों के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह परिवार की भूमि के बीघों की संख्या पर निर्भर करता है, जो अधिकांश मामलों में कम से कम 5 बीघा और उससे भी अधिक होती है)।

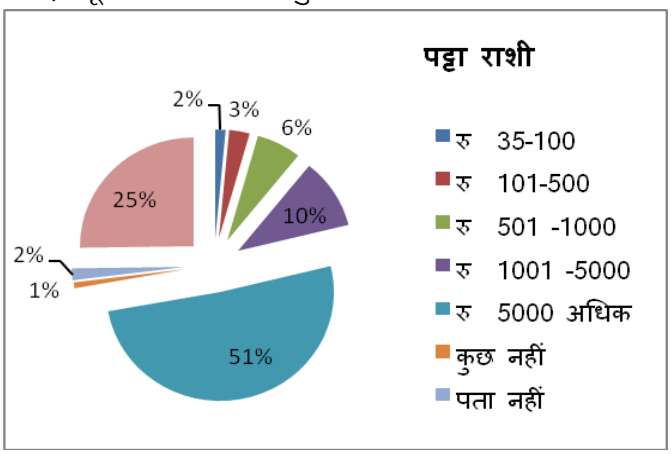

पट्टा राशि 4000 से 5000 रूपये प्रति बीघा होती है। चिल्लाखादर और पंटून पुल गांव में कुछ भूमि प्रबल सवर्ण भूस्वामियों की है जिन्हें सोसाईटी द्वारा 4–5 दशकों पहले ये भूमि लीज पर मिली थी और इन्होने दलितों को भी आगे पट्टे पर खेती के लिए दे दी। विजयघाट के किसान भी अपना पट्टा वार्षिक और छमाही आधार पर दिल्ली पीजेंट्स को–ओपेरेटिव मल्टीपरपज सोसायटी लि.[1] को

[1] नदी भूमि से बेदखली के बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी) संख्या 5060/2000 में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने यमुना नदी तट पर दिल्ली पीजेंट्स को–आपरेटिव मल्टी परपज सोसायटी लि. को 13,343 बीघा और 3 विस्वा भूमि आवंटित की। सोसायटी ने यह भूमि अपने सदस्यों को दी। सोसायटी के सदस्यो के रूप में याचिकाकर्ताओं के पास भूमि का कब्जा नहीं है। मामला अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सिंचाई विभाग, यू. पी. सरकार और दिल्ली सोसायटी इसमें पक्षकार हैं।

डी.डी.ए. ने अपने बचाव में बताया कि शुरू में यह जमीन पांच वर्ष की लीज पर झील कुरंजा मिल्क प्रोड्यूजर्स को आपरेटिव सोसायटी को दी गई थी जिसे बाद में 14–6–1996 तक बढ़ा दिया गया था। दिल्ली पीजेंट को–आपरेटिव मल्टीपरपज सोसायटी के सदस्यों के रूप में याचिकाकर्ताओं ने भूमि पर कब्जे का दावा किया। उन्हें अतिक्रामक माना गया। जिससे क्षेत्र जबरन विध्वंस किया गया और बाद में एक्विशन ऑफ अनऑथराईज्ड पर्सन्स एक्ट 1971 के अन्तर्गत कानूनी तरीके से यह कार्य किया गया।

अदा करते हैं जो अधिकांशतः 100 रूपये होता है। यहां भी किसान ज्यादातर दलित हैं और अन्य दलितों को पट्टे पर अपनी जमीन खेती के लिए देते हैं।

चिल्लाखादर की एक उत्तरदाता महिला ने बताया कि पट्टा राशि अदा करने के लिए उन्हें थोक बजार में एक सब्जी व्यापारी से पैसा उधार लेना पड़ता है। ब्याज अदा करने के अलावा पार्टियों में अलिखित करार होता है कि ऋण चुकता हो जाने तक सब्जी उसी व्यापारी को सप्लाई की जाएगी। केवल उसका ही ऐसा मामला नहीं था, अधिकांश छोटे किसान इसी तरह से अपनी जोतों को बचाते हैं। किसान होने के नाते उनका रोजगार कृषि तक ही सीमित है। वे मौसमी खेती करते हैं और सीमित उत्पादन द्वारा पूरे वर्ष अपने परिवार का गुजारा करते हैं। यमुना बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी है और बचे लोगों के पास अपने भाग्य के सहारे चलते रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। उनकी पट्टा रकम चली गई हैं। मूलरूप से बिहार से एक उत्तरदाता ने बताया कि वह नियमित काम की तलाश में दिल्ली आया था क्योंकि अपने जिले कटिहार में वार्षिक बाढ़ के कारण वह वहां खेती नहीं कर सकता था। वह यहां भी अपनी फसल को नहीं बचा सका और उसे अपनी झोपड़ी के साथ पूरा सामान गवांना पड़ा।

ग. क्षति

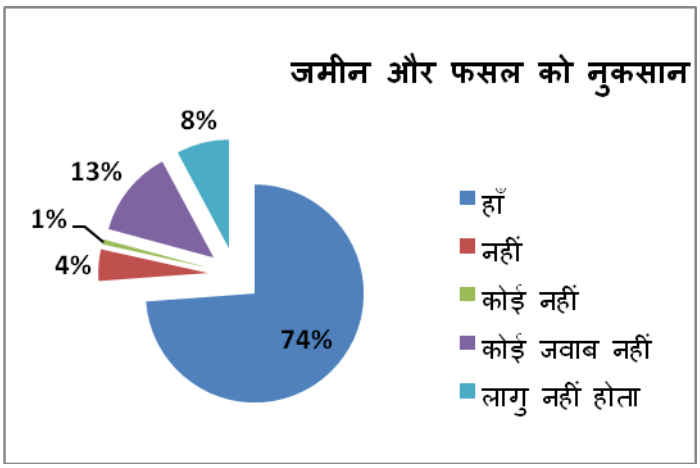

शहर की अत्यन्त विषम जलवायु स्थितियों में इन किसानों एवं दैनिक मजदूरों के कठिन परिश्रम को यदि देखा जाए तो इन परिवारों को हुए नुकसान की थाह नहीं लगाई जा सकती। यमुना बाढ़ ने 74% परिवारों की मौसमी सब्जियों और दालों की लहलहाती फसल को नष्ट कर दिया हैं। उत्तरदाताओं द्वारा मोटे अनुमान के अनुसार लाखों रूपयों की फसल का नुकसान हुआ हैं। इस भारी नुकसान के कारण पीड़ित गर्दन तक कर्ज में दब गए हैं। पैसा उधार लेने से उन्हें न केवल अपनी आय साहूकार के साथ बांटनी पड़ती है बल्कि उन्हें अपना यह अधिकार भी छोड़ना पड़ता है कि वे अपना उत्पादन कैसे करेंगे, उसकी कहां सप्लाई करेंगे और किस कीमत पर, बेंचेंगे या नहीं।

95% उत्तरदाताओं ने कपड़ों के साथ बर्तनों (93%) अन्य चीजों, राशन कार्ड, वोटर पहचान कार्ड और बच्चों के स्कूल योग्यता प्रमाण पत्रों (76%) के खो जाने की बात की। भैंसों, गायों और बकरियों के रूप में पशुधन रखने वाले 148 उत्तरदाताओं में से 17% ने अपने पशुओं को नुकसान या चोट लग जाने की बात की। इस

नुकसान के अंतर्गत गाय और भैंस निकाले जाने के समय घायल हो गई और बकरियां तथा कुछ मामलों में गाएं पानी में डूब गईं।

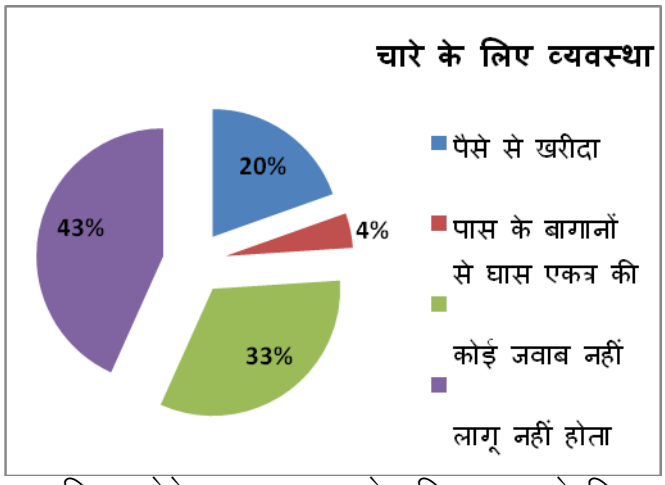

38% पशुधन रखने वाले उत्तरदाताओं में से 24% ने बाढ़ के दौरान चारे की भारी कमी की बात की । इन उत्तरजीवियों के जीवन में पशुधन के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्त्रियों को घास लाने के लिए बहुत दूर सार्वजनिक पार्कों, पुराने किले और सभी संभव स्थानों पर जाना पड़ा क्योंकि सरकारी राहत कार्य में पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। 20% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होने 150–250 रूपये प्रति गट्ठर के हिसाब से अलग–अलग कीमतों पर चारा खरीदा। महिला उत्तरदाताओ ने बताया कि उद्यानों से घास लेना भी निशुल्क नहीं था। उन्हें सार्वजनिक पार्कों से घास काटने के लिए गेटकीपर को 10–20 रूपये घूस देनी पड़ती थी।

उपर्युक्त तथ्य अलग–अलग तरह के मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। अधिकांशतः महिलाएं ही चारा लेने के लिए जाती हैं। महिलाओं के साक्ष्य से पता चलता है कि एक गेट कीपर के स्तर पर भी में कितना भ्रष्टाचार है। सार्वजनिक पार्कों में गेटकीपरों ने भी बगैर रिश्वत के उन्हें घास काटने नहीं दीं। इस प्रकार पीड़ितों - दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के साथ किसी ने भी उनको सताने में कसर नहीं छोड़ी।

7. निकासी सेवाएं

यह जानकर तसल्ली हुई कि संभवतः पहले की यमुना बाढ़ के अनुभव के कारण 86% लोग सरकार के चेतावनी तंत्र से वाकिफ थे। 82% उत्तरदाताओं को कुछ अधिकारियों से प्रारंभ मे ही चेतावनी मिल गई थी लेकिन 94% परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर उस समय ले जाया गया जब बाढ़ आ चुकी थी और पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था।

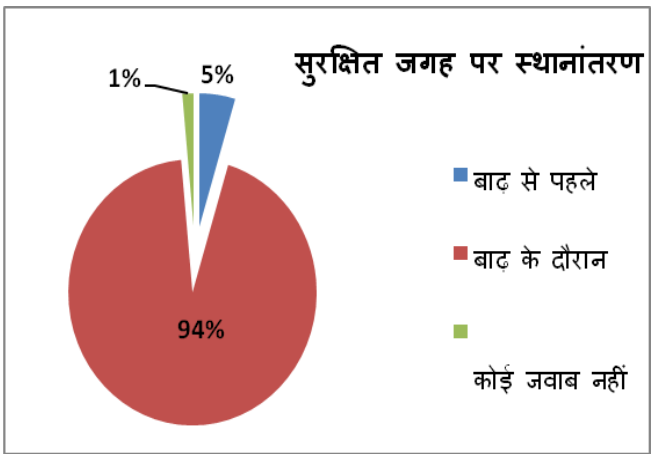

उत्तरदाताओं ने बताया कि पूर्व चेतावनी के कारण वे सरकारी सहायता के बगैर पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले गये थे। शास्त्री पार्क और विजयघाट पर निचले स्थानों पर रहने वाले क्रमशः 78% और 81% उत्तरदाताओं ने बताया कि कोई बचाव नावें नहीं थी। उन्हें अपने बच्चों, बूढ़ों और अपंगों के साथ जैसे–तैसे अपने आप व्यवस्था करनी पड़ी थी। केवल चिल्लाखादर, मयूर विहार–1 में अधिकतम परिवारों को नाव सेवाएं मिलीं जिनकी सहायता से लोग अपनी चीजों को बचा सके। कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि बचाव नाव सेवाओं के लिए उन्हें पैसा देना पड़ा। क्योंकि वे पानी में घिरे थे और देने के लिए पैसा नहीं था, उन्हें अपना सामान वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकालना पड़ा। यदि बचाव सेवाएं समय पर और सक्षमता के साथ प्रदान कर दी जातीं तो लोगों को नुकसान नहीं होता। इस नुकसान के लिए दिल्ली सरकार ने मुआवजे के लिए कोई घोषणा नहीं की है और न ही जान माल के नुकसान के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है। इस से ये अनुमान लगाया जा सकता हैं के दिल्ली सरकार ने नुकसान और क्षति का कोई आंकलन नहीं करवाया हैं।

ऐसा लगता है कि पूर्व बाढ़ चेतावनी तंत्र काम कर रहा था जिसकी वजह से लोग सरकारी निकासी सेवाओं के बगैर ही सुरक्षित स्थानों पर चले गये थे, लेकिन कुछ लोग समय पर सुरक्षित स्थानों पर नहीं जा सके थे क्योंकि या तो बचाव सेवाएं नदारद थीं या उनके लिए पैसा लिया जा रहा था। इसलिए यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राधिकारी अपने कानूनी दायित्वों को पूरा नहीं कर सके। वे एन.डी.एम.ए. के बाढ़ प्रबंधन मार्ग निर्देश 2006 में दिए गये इस आदेश का पालन नहीं कर सके कि वे लोगो मे यह विश्वास पैदा करें कि जब वे अपने मकानों से दूर होंगे तो उनके सामान की रक्षा की जाएगी।

8. राहत सेवाएं

क. राहत सामग्री का असमान वितरण

पीड़ितो को भारी बाढ़ और लगातार वर्षा दोनो ही वजहों से मुसीबत उठानी पड़ी। कुल उत्तरदाताओं में से 85% ने राहत शिविर उपलब्ध होने की बात की और अन्य 12% ने राहत शिविर न मिलने की बात की। बहिष्कृत परिवारों ने बताया कि तंबुओं और खाने का सब जगह बराबर वितरण नहीं हुआ। इसकी वजह से बांध पर रहने वाले और अंदर फंसे लोग सुविधा से वंचित रह

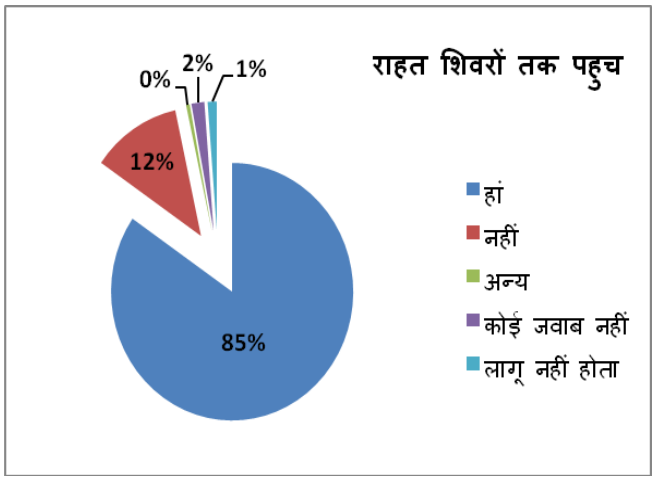

गये। बहिष्कृत वर्गों ने कहा कि प्रधानों[2] ने उनके लिए कुछ नहीं किया और सप्लाई में भेदभाव किया। सड़क के किनारे /पटरियों पर शिविर लगाए गये लोगों को ही खाने की सप्लाई की गई। बगैर तंबुओं वाले लोग बांसो पर पॉलिथिन टांग कर सिमट कर रहने लगे। जिन्हें तंबू मिल गये उनकी भी हालत खराब थी। सैनिकों द्वारा फैंक दिए गये तंबुओं को दिल्ली सरकार ने पीड़ितों में बांट दिया। प्रत्येक राहत तंबू में कम से कम तीन परिवार थे। इन तंबुओं ने पीड़ितों को कड़ी धूप से तो बचाया लेकिन वर्षा से बचाने में अधिक सहायता नहीं की।

बाढ़ प्रबंधन के बारे मे एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देशों में विपत्ति प्रबंधन में प्रशिक्षित समुदाय स्तरीय टीमों के गठन की बात की है जो आपात शैल्टरों की योजना और स्थापना, प्रभावित व्यक्तियों में राहत वितरण, गुमशुदा लोगों की पहचान, शिक्षा, स्वास्थ्य ध्यान, पानी सप्लाई और सफाई तथा भोजन आदि में सहायता करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, बचे लोगों ने अपनी बस्तियों में इस तरह की कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखी।

डी.एन.डी. फ्लाई ओवर नोएडा से अक्षरधाम तक शिविर लगाने वाले पीड़ितो के लिए सबसे बड़ी समस्या स्थानीय पुलिस का दबाव था जो पानी उतरने से पहले ही उन पर अपने घरों को लौट जाने या और कहीं चले जाने के लिए दबाव डाल रहे थे। यह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नियत लेनों के मार्ग को साफ कराने के लिए किया जा रहा था। खासतौर पर इसलिए कि खेलगांव पास ही में था। यह सब कवायद अंतर्राष्ट्रीय मेहमानो, खिलाड़ियों और राजनयिकों के लिए नगर को सजाने के वास्ते की जा रही थी। *तो क्या हुआ! मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए त्योहारों पर घरों को भी तो सजाया जाता है। तो फिर नगर को क्यो नहीं। भले ही उसके सौन्दर्यीकरण के लिए गंदी बस्तियों को गिराना ही क्यों न पड़े?* पीड़ित नदी तल में खेती करके ही अपनी आजीविका चलाते थे। उनके लहलहाते खेतों को बाढ़ ने सपाट बना दिया था। तब भी ये लोग अपने खेतों को छोड़कर किसी अन्य स्थानपर नहीं जाना चाहते थे। वे डी.एन.डी. रोड के पास शिविरों से उन पर निगरानी रख सकते थे। यह स्थान अन्य स्थानों के मुकाबले साफ भी था। इसलिए कहीं और जाना उनके लिए परेशानी की बात थी।

खाने और पानी की सप्लाई लगभग नियमित थी। लेकिन विशेष रूप से खाने और दवाईयों की गुणवत्ता के बारे में पीड़ितों ने निराशा जताई। राहत चीजों में दो समय खाना शाामिल था। लेकिन वह समय पर नहीं आता था और बासी होता था। (जिसकी वजह गर्मी बताई गई), लेकिन वह ''नियमित'' था। दिल्ली नगर निगम द्वारा चिकित्सा शिविर सप्ताह में दो बार और कभी–कभी तीन बार लगाए जाने थे। दिल्ली जलबोर्ड के टैंकरों की भी यही स्थिति थी। 23% पीड़ितो ने पर्याप्त और अच्छा भोजन न मिलने की बात की। पानी

[2] दिल्ली में चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं बल्कि नामित व्यक्तियों को प्रधान पुकारा जाता है।

के टैंको की सप्लाई भी कभी–कभी अनियमित हो जाती थी और पीड़ितों को स्थानीय विधायक और कभी–कभी स्टेशन हाउस ऑफिसर से कहलवाना पड़ता था। आपदा के समय राजनीतिक खेल पूरे जोरों पर था क्योंकि ये लोग विधायको के लिए वोट बैंक का काम करते हैं। खाने और पानी सप्लाई से संतुष्ट न होने वाले उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि कभी–कभी उन्हें अपनी पानी की जरूरतें बाढ़ के पानी से पूरी करनी पड़ीं जिसके कारण बच्चों सहित बहुत से लोग बीमार पड़ गए।

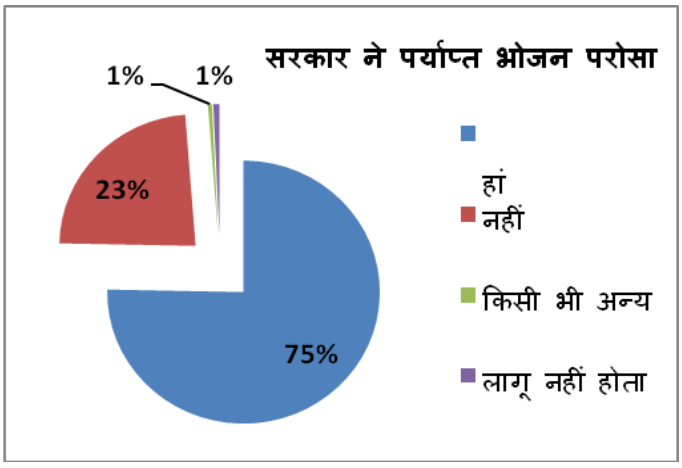

राहत वितरण मुख्य रूप से सरकार ने किया। कुछ समूहों और व्यक्तियो ने भी यह काम किया। खाने और शैल्टर से ही मानवता का काम पूरा नहीं हो जाता। राहत प्रदान कर रही अजन्सियों को, और इस मामले में सरकार को, गुणवत्ता और भेदभाव रहित वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। यह काम सरकार को करना चाहिए। राहत केवल अपनी मर्जी का काम नहीं होना चाहिए बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सामाजिक समूह की क्या आवश्यकताएं हैं।

ख. स्वास्थ्य सेवाएं

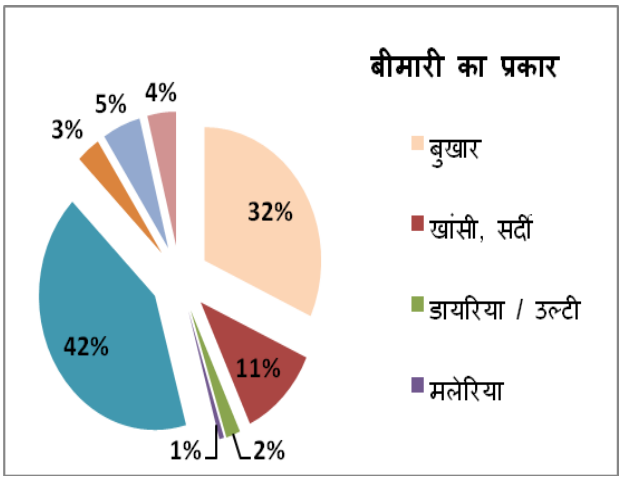

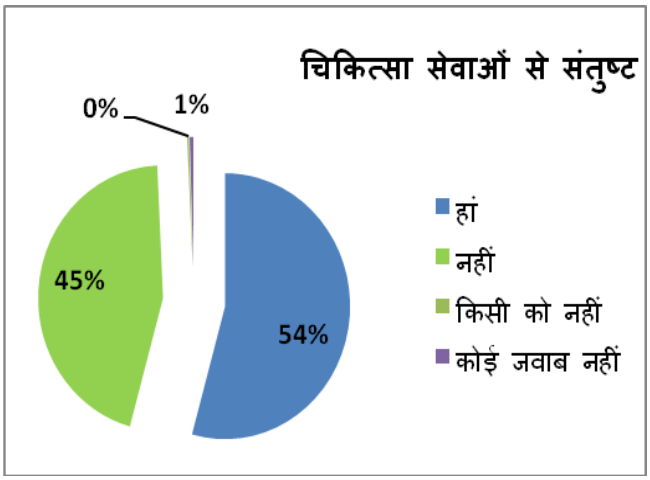

बाढ़ के बाद पीड़ितों में बीमारी फैल गई। पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों वाले कुल पीड़ितों में से 25% ने अपने बच्चो के बीमार होने की बात की। इन शिशुओं को मुख्य रूप से बुखार (32%), खांसी और जुकाम (11%) और दोनों (42%) थे। ये कुल उत्तरदाताओं मे से 85% के बराबर थे। शेष 15% को और बहुत सी बीमारियां थीं। यह भी बताया गया कि कुछ दिन पानी के टैंक न होने के कारण नदी का पानी पीना पड़ा। बच्चों में बीमारी का यह एक कारण बताया गया।

अधिकांश ने चिकित्सा सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया लेकिन 45% उत्तरदाताओं ने प्रत्येक बीमारी के बारे में एक जैसे इलाज पर असंतोष व्यक्त किया। चिकित्सा शिविर काफी नियमित थे लेकिन पीड़ितों ने बताया कि बगैर ढंग से देखे दवाई देदी जाती थी। यह वही समय था जब दिल्ली वेक्टर जन्म बीमारियां अर्थात् मलेरिया और डेंगू से जूझ रही थी। बच्चों–बड़ों को प्रत्येक बीमारी के लिए एक जैसी दवाएं दी गईं। कुछ को इन दवाओं से राहत मिली कुछ को नहीं। डी.एन.डी. टॉल ब्रिज के पास रह रहे चिल्लाखादर के पीड़ितों को संभवतः अपने मुख्य स्थान के कारण धार्मिक समूहों से भी खाने के साथ–साथ चिकित्सा सेवाएं धार्मिक सभाओं से भी मिलीं। लेकिन विजयघाट के 43% लोगों को सरकार से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलीं। हर काम बड़े तदर्थ तरीके से किया गया।

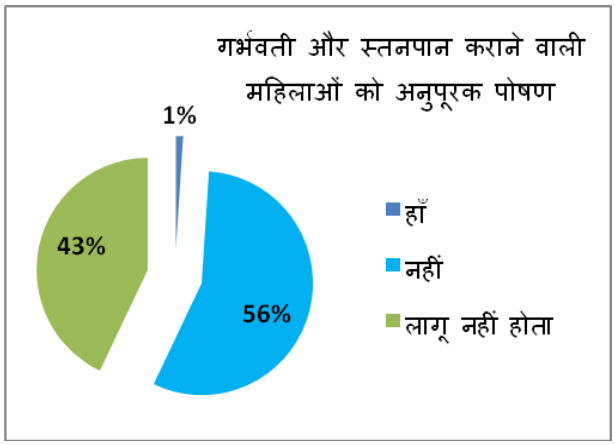

चिकित्सा शिविरों में कोई निर्दिष्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। गयानी सेवाएं और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति कक्ष नहीं थे। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषण नहीं दिया गया था। 56% उत्तरदाताओं ने इस तरह की सेवा से इन्कार किया। प्रसूति कक्ष सुविधा न होने के कारण चंपादेवी ने स्थानीय स्त्रियों की सहायता से बाढ़ और वर्षा में बहुत जोखिम भरी परिस्थितियों मे बच्चे को जन्म दिया। अधिकारियों ने राहत के दौरान इस तरह की फीडिंग के लिए कोई औपचारिक पंजीकरण नहीं किया। इस प्रकार, ये देखना दिलचस्प और महत्तवपूर्ण होगा की सरकार ने असुरक्षित व जोखिम में पढ़े लोगों का राहत के दौरान, पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत कोई औपचारिक पंजीकरण किया था या नहीं।

ऐसे अवसर पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति काफी उपयोगी रहती। सर्वेक्षित किसी भी क्षेत्र में वे मौजूद नहीं थीं। इसने महिलाओं और बच्चो की स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया था। समस्त स्वास्थ्य आवश्यकताओं को और स्थिति पर निगरानी रखने के लिए उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था।

ग. महिलाओं और बच्चों के लिए अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं

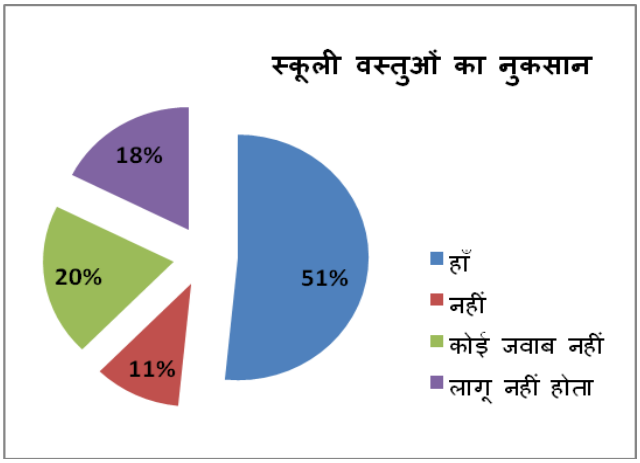

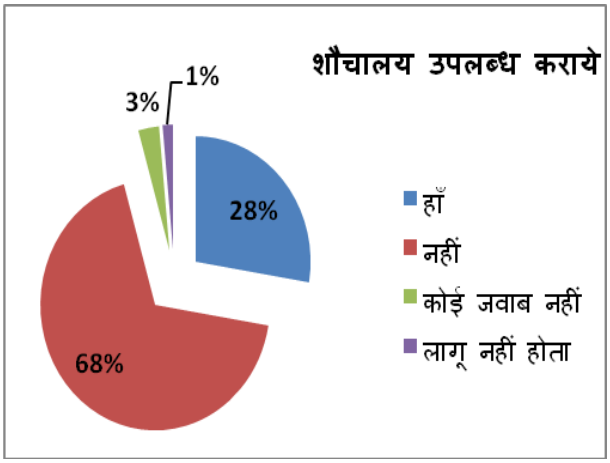

बाढ़ ने स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। कुल में से 51% उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों की पुस्तकों और बच्चों के नुकसान की बात की जिससे बाढ़ के बाद 49% बच्चे फिर से अपने स्कूल नहीं जा सके। साथ ही पानी भरा होने और सड़क पर गड्ढों में पानी होने की वजह से माता–पिता ने उन्हें स्कूल भेजने का खतरा नहीं उठाया।

इस के अलावा सामान्य परिस्थितियों में भी इन परिवारें द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाने में आने वाली दिक्कतों के बारे में सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। आसपास कोई स्कूल नहीं है। बच्चों को स्कूल से परिचित करने के लिए कोई आंगनवाड़ी नहीं है। छोटे–छोटे बच्चों को स्कूल के लिए रोजाना 2–3 कि.मी. पैदल आना–जाना पड़ता है। विजयघाट से बहुत अन्दर रहने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए दरियागंज जाना पड़ता है। चिल्लाखादर के बच्चे भी बहुत दूर स्कूल जाते हैं। शास्त्री पार्क में, जहॉ बाढ़ पीड़ित रहते हैं, इर्स्टन अप्रोच रोड के दोनों तरफ, शिक्षा के लिए कोई प्रदान संस्थान नहीं है। सुबह–शाम बहुत दूर पैदल आने जाने के कारण माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। लेकिन सभी में अपने बच्चों को पढ़ाने की बहुत जिज्ञासा है।

महिलाओं के लिए भी कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। उनके लिए शौचालय और नहाने की सुविधाएं नहीं हैं। कोई प्राईवेसी नहीं है। बाढ़ के दौरान सभी महिलाओं को शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। बच्चे नदी में ही शौच करते थे। विजयघाट और चिल्लाखादर में एक–एक चल शौचालय था। शास्त्री पार्क में तो यह भी नहीं था। दूर स्थानों पर फंसे लोग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे क्योंकि तंबू न होने के कारण वे बांध पर ठहरे हुए थे। कुल मिलाकर 68% उत्तरदाताओं ने इन सेवाओं के अभाव की बात की जिसकी वजह से महिलाओं और युवतियों को शौच के लिए दूर जंगल में जाना पड़ता था। जहां ये चल शौचालय थे वहां भी वे उनसे दूर रहते थे क्योंकि उन्हें आस पास निर्माण मजदूर इस्तेमाल करते थे ।नहाने की सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर 89% उत्तरदाताओं ने न में उत्तर दिया। महिला उत्तरदाताओं ने

अपने लिए बड़ी परेशानी की बात की। उन्हें अपने तंबुओं के भीतर नहाना पड़ता था और बाहर अपने किसी परिवार के सदस्य या बच्चे को पहरा देने के लिए खड़ा करना पड़ता था।

वे प्राईवेसी, स्वास्थ्य ध्यान सूचना, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जानकारी का दावा नहीं करते क्योंकि उनका इस तरह के विचारों से वास्ता ही नहीं पड़ा है। लेकिन इसे अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) समुदाय के कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। आपदा के समय भी स्त्रियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया। सरकार की राहत सेवाओं में बुनियादी वस्तुऐं ही गायब थीं। इससे सुरक्षा की बात पर ही सवाल खड़ा हो जाता है, विशेष रूप से इस तरह की आपदा के समय। जिनके पास तंबू नहीं था उनकी और भी मुसीबत थी। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कम से कम शिशुओं के लिए कपड़े वस्तु, महिलाओं को तथा विशेष रूप से किशोरियों के लिए सेनिटरी चीजें राहत सामग्री में नहीं थीं।

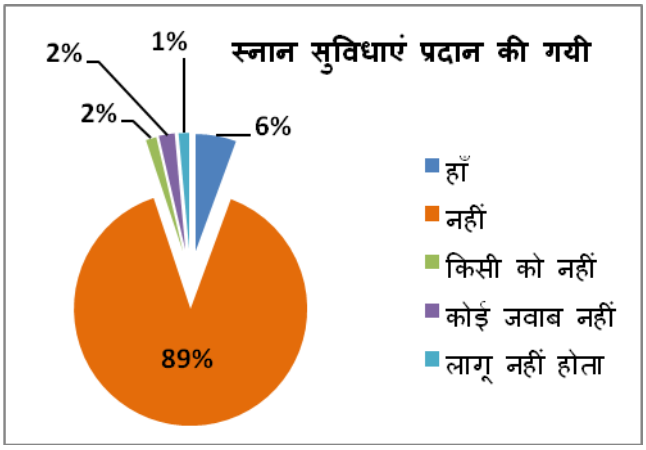

यमुना बाढ़ भी उन्हें दिल्ली सरकार से कुछ ज्यादा नहीं दिला सकी। इससे प्रभावित आबादी भी बुनियादी जरूरतों को पहचानने और उन्हें सम्मान के साथ पूरा करने मे दिल्ली सरकार के असंवेदनशील रवैये का पता चलता है। इन्हें पूरा करने के लिए स्फेयर हियूमनटेरियन चार्टर एवं मिनीमम स्टैंडर्ड में भी अपेक्षा की गई है। यह उसी राजधानी के दो विषम पहलुओं, सौन्दर्य और निष्ठुरता का कैसा विषम मेल है। एक तरफ खेलगांव में पानी को घुसने से रोकने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ इस कमजोर वर्गों को गुणवत्ता आपात सेवा के लिए बहुत कम सम्रग मानवीय प्रयास किए गये।

9. अधिकारियों द्वारा क्षति निर्धारण

अधिकारियों द्वारा क्षति निर्धारण संबंधी सवाल का एक ही उत्तर आया – 'नहीं किया गया'। इस बारे में लोगों के बहुत से विचार हैं। उन्होने कहा कि वे गरीब प्रवासी हैं इसलिए सरकार उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती। बहुतों का विचार है कि यह उनकी ओर से घोर उपेक्षा और निष्ठुरता है कि वे उनकी हालत को देखने भी

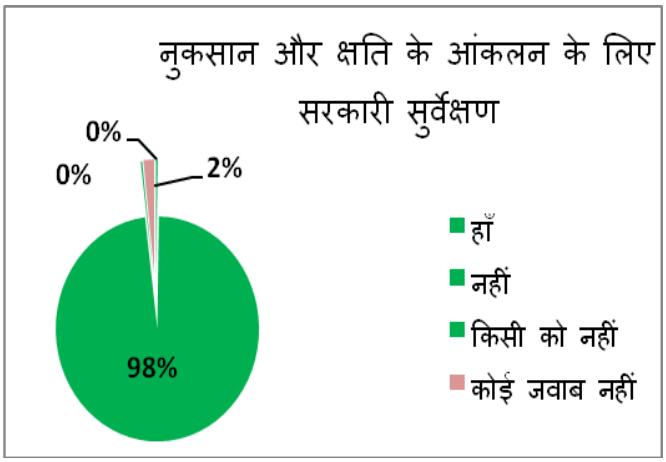

नहीं आए हैं ताकि मुआवजे की कोई बात उठे ही नहीं। बचे लोगों में एक तरह की निःसहायता है और वे अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फसल बरबाद हो जाने के बाद कुछ ने सस्ती मजदूरी का छोटा मोटा काम पकड़ लिया है। *अब कुछ तो करना होगा अपने बच्चों के लिए, जीने के लिए, हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते* – चिल्लागांव की मंजू देवी ने दुख के साथ कहा। वह चाहती थी कि उसे और उसके जैसी गांव की दूसरी महिलाओं को कुछ काम मिले क्योंकि सामान्य खेती काम में और कर्ज़ से मुक्ति मिलने में तो थोड़ा समय लगेगा।

पीड़ितों ने यह बात बताते हुए बेचैनी और दुख जताया कि वे सारा दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं और बाढ़ से फसल के नुकसान का मुआवजा जमींदारों को मिलेगा जो पट्टा भूमि के मालिक हैं। यह बात मयूर विहार फेज–1 के चिल्ला और पंटून पुल गांव के मामले मे और भी अधिक सही है। मगर मुआवजा जमींदारों को भी अब तक नहीं मिला हैं। जमींदारों को भी नहीं पता की उन्हें कोई मुआवजा मिलेगा भी के नहीं, क्योंकि जो ज़मीन उन्हें वषों पहले दिल्ली पीजेंट्स को–ओपेरेटिव मल्टीपरपज सोसायटी लि से मिली हैं वह विवादित ज़मीन हैं। मामला अभी उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच वर्षों से चल रहा है। किसी को अपने नुकसान के मुआवजे की कोई उम्मीद नहीं हैं। लेकिन, सीमांत किसान निसंदेह ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई समर्थन प्रणाली नहीं है। फिर भी पीडितों ने इस सर्वेक्षण से कुछ उम्मीदें जताई हैं। उन्हें अधिकारियों के आने, उनकी तकलीफ सुनने और नुकसान का जायजा लिए जाने की कोई उम्मीद नहीं है।

बाढ़ प्रबंधन के बारे में एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों की सूचना दिए जाने की बात करते हुए कहा गया है कि बाढ के शीघ्र बाद इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में नुकसान और इस बारे में कार्रवाई की सही सूचना दी जाएगी। लेकिन तथ्यों से पता चलता है कि दिल्ली सरकार ने इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया है।

10. संबंधित प्राधिकारियों को सिफारिशें

लघु समयावधि

1. सभी बच्चों (0–6), गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं एवं किशोरी लड़कियों के लिए जितने आंगनवाड़ियों की आवश्यकता हो तुरन्त स्थापित की जाएं।

2. पीड़ितों के लिए उनके व्यक्तिगत नुकसान एवं क्षति, आवास, फसलें, पशुधन एवं जीवन यापन के अन्य माध्यम के लिए प्रशासन द्वारा पीड़ितों एवं समुदाय के नेताओं से परामर्श के बाद पारदर्शिता दिखाते हुए मुआवजा दिया जाए।

3. दैनिक मजदूरों के लिए मजदूरी एवं स्वरोजगारकर्ताओं के लिए उनकी आय का बाढ़ के दौरान हुए नुकसान का अनुमान लगाकर उनको इस के अनुसार मुआवजा दिया जाए।

4. जिन बाढ़ पीड़ितों का राशन कार्ड खो गया है, और जिनकी राशन सप्लाई बाढ़ के दौरान बन्द कर दी गई थी, उनके राशनकार्ड दोबारा बनाये जाएं एवं नये राशनकाड दिए जाएं।

5. जिन बाढ़ पीड़ितों के राशनकार्ड, बी.पी.एल. कार्ड एवं अन्य प्रमाणपत्र बाढ़ के दौरान नष्ट हो गये या खो गये उन्हें ये दस्तावेज पुनः प्रदान किए जाएं।

6. बेघर हुए बाढ़ पीड़ितों को आवास की सुविधा ऐसी जगह दी जाएं जिनमें बुनियादी सुविधाएं हों जैसे रिहायश के पास स्कूल एवं आंगनवाड़ी आदि।

7. महिलाओं को जीविका का कोई साधन दिया जाए।

8. रिहायशी क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य सेवाओं एवं 'आशा' कार्यकर्ताओं को मनोनीत किया जाए।

9. विजयघाट एवं मयूर विहार के किसानों के लिए जो वर्षों से यमुना भूमि में कृषि कार्य में लगे थे उन्हें दिल्ली किसान सहकारिता बहुउद्देशीय समिति लिमिटेड से पटटे पर भूमि दी जाए और जो इसके सदस्य हैं उन्हें फसल एवं लागत का तुरन्त मुआवजा दिया जाए। खेतिहर मजदूर (फसल में सहभागी) जो खेतो में काम कर रहे थे उन्हें भी आनुपातिक रूप से मुआवजा दिया जाए।

दीर्घ समयावधि

1. यमुना के पास रहने वाले उन दलितों एवं अन्य हाशिए के लोगों को मान्यता दी जाए एवं उनकी गिनती की जाए जो इस उम्मीद में वहां रह रहें हैं कि मास्टर प्लान के विकसित होने पर उन्हें यथास्थान बसा दिया जाएगा। यह सब बिना उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाए एवं सुरक्षा को हटाए बिना किया जाए। उनके खतरे एवं विपत्ति को कैसे कम किया जाए इस पर विचार किया जाए एवं इन क्षेत्रों में उनके रहने का बन्दोबस्त को आपदा प्रबंधन प्लान में दर्शाया जाए।

2. जो परिवार यमुना नदी के किनारे रह रहे हैं उन्हें भूमि का कानूनी अधिकार दिया जाए और सरकार यह सुनिश्चित करे कि उन्हें उजाड़ा या बेदखल नहीं किया जाएगा ताकि ये बहिष्कृत एवं भेदभाव से पीड़ित समुदाय स्वयं को असुरक्षित एवं दीन–हीन महसूस न करे।

3. इन परिवारो का ऐसा आसान डेटाबेस (आंकड़ा आधार) तैयार किया जाए जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके एवं वार्षिक रूप से अद्यतन या अपडेट किया जा सके। परिगणक(एनुमेरेटर्स) इन परिवारों से संबंधित जो आंकड़े उनकी पहचान के दस्तावेज दें उन्हें डाटाबेस में सुरक्षित किया जा सके ताकि इन के खो जाने या नष्ट हो जाने पर बिना किसी देरी के संबंधित आंकड़े पुनः प्राप्त किये जा सकें।

4. दिल्ली सरकार को ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे कि भविष्य में पीड़ितों को इस प्रकार की आपदाओं जैसे बाढ़ आदि में उनकी फसल, पशुधन एवं अन्य सम्पति (यदि कोई है) को सुरक्षित किया जा सके।

5. बाढ़ से सुरक्षा हेतु आश्रयस्थल बनाये जाएं ताकि लोग बाढ़ के समय इनका उपयोग कर सकें।

6. बार–बार आने वाली बाढ़ को ध्यान मे रखते हुए आवास/रहने का बन्दोवस्त किया जाए।

7. समुदाय के प्रतिनिधियों (युवाओं) को बचाव एवं राहत कार्य बल में शामिल किया जाए एवं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए।

11. निष्कर्ष

बचाव और राहत का चरण समाप्त हो चुका है और पुनर्वास के काम को अभी तक छुआ नहीं गया हैं। रिर्पोट में पीड़ितों को बहुत कम और घटिया राहत के तथ्यों को उजागर किया गया है। साथ ही सम्मानित जीवन के अभाव में दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों की नाजुक स्थिति और दुर्भाग्य को भी उजागर किया गया मानव निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा, दलितों को अकारण भेदभाव के शिकार बने हैं। यदि वैज्ञानिक योजना बना ली जाती और विभिन्न स्थानों पर रहने वाले की गिनती कर ली जाती तो पीड़ितों का हुए काफी नुकसान को टाला जा सकता था। इसके अलावा आपदा से पहले की इस योजना से व्यवस्थित और एक समान राहत प्रदान की जा सकती थी।

इस मौसम की फसलों को भारी नुकसान के बाद यमुना नदी तल के इन कृषि श्रमिकों को अपना जीवन सामान्य बनाने में काफी समय लगेगां बाढ़ प्रवण स्थानों पर रहने वाले इन पीड़ितों को खतरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। और प्राथमिक रूप से कृषि पर आश्रित इन गरीब परिवारों को नुकसान से बचाने के लिए उपयुक्त पुनर्वास योजना बना ली जानी चाहिए थी। सरकार द्वारा चलाई गई राहत गतिविधियों में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। जो थोड़ा–बहुत दिया गया उसे बुनियादी अपेक्षाओं से समझौता किए बगैर सम्मान के साथ दिया जा सकता था। लेकिन निष्कर्षों से 'अविस्मरणीय' राष्ट्रमंडल खेलों की भव्य तस्वीर के पीछे असली स्थिति नजर आ जाती है। कुछ क्षेत्रों में पीड़ितो को थोड़ा बहुत दिया गया लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ भी नहीं मिला। स्वास्थ्य, भोजन और सफाई के बारे में एन.डी.एम.ए. के मसौदा मार्ग निर्देशों की केन्द्र सरकार द्वारा अभी जांच की जानी है, लेकिन यहां उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई है। असमान वितरण के कारण बाढ़ के दौरान राहत पाने वालों और अपने वास स्थान के फलस्वरूप कुछ न पाने वालों के बीच विरोध उत्पन्न हो गया है।

ळळळळळळ

परिशिष्ट 1

भोजन, स्वास्थ्य, सफाई और जल के बारे में एन.डी.एम.ए. मसौदा मार्ग निर्देश

सभी मार्ग निर्देशों में एक बात सामान्य है और वह है। समुदायों की भागीदारी, जिसके अंतर्गत निर्णय लेने और कार्यान्वयन मे आपदा प्रभावित लोगों की भागीदारी पर बल दिया गया है ताकि न्याय पूर्ण और प्रभावी कार्यक्रमों और लोगों के सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके। इससे भी आगे की बात यह है कि सहायता कार्यक्रम में महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

भोजन राहत के न्यूनतम मानको के बारे मे एन.डी.एम.ए. मार्ग निर्देश

धारा 3.2.3 के अनुसार शिविरों में गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली मांओं, बच्चों, बूढ़ों, अपंगो, पी.एल. एच.आई.वी./एड्स, बहिष्कृत और सीमांत समूहों जैसे कमजोर समूह में पहचाना जाएगा और उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुपूरक भोजन दिया जाएगा।

धारा 3.2.12 में भी आपदाओं के बाद कुछ वैकल्पिक आजीविकाओं और आय प्राप्ति गतिविधियां प्रोत्साहित करने का मानदंड निर्धारित किया गया है। ऐसा विभिन्न समूहों द्वारा अपने भिन्न–भिन्न जीवन को फिर से सामान्य बनाने में आने वाली दिक्कतों और कमजोरियों को ध्यान में रखकर किया गया।

धारा 4.2.7 में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मांओं को अतिरिक्त पोषण और सहायता की बात अपर्याप्त पोषक तत्व से जुड़े जोखिमों मे शामिल है। गर्भ जटिलताएं, मां की मृत्यु, जन्म के समय बच्चे का कम वजन और स्तनपान कमजोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, आइरन और फोलिक एसिड की दैनिक खुराक मिलनी चाहिए। प्रसव के तुरन्त बाद छह सप्ताह तक महिलाओं को विटामिन ए मिलना चाहिए।

धारा 4.4.2 में भोजन सहायता पाने वाले सभी परिवारों के औपचारिक पंजीकरण और अनुपूरक भोजन कार्यक्रम, यदि हां, के लिए पंजीकरण के वास्ते कमजोर और जोखिम वाले समूहों की पहचान की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा राहत के लिए न्यूनतम मानको के बारे में एन.डी.एम.ए. मसौदा मार्ग निर्देश

धारा 4.2.1 मे समुदाय मे स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों (आशा, आंगनवाड़ी कर्मी) और अन्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने और लिंग तथा एथनिक संतुलन को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था की गई है।

सफाई और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मानकों के बारे में एन.डी.एम. मसौदा मार्ग निर्देश

धारा 2 में शौच के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था के महत्व पर बल दिया गया जो कि लोगों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है।

धारा 2.2 (8) और 3 (3.1.3) में महिलाओं के सेनिटरी डिसपोजल या सेनिटरी सुरक्षा वस्त्रों को धोने और सुखाने के लिए आवश्यक प्राईवेसी की व्यवस्था की बात की गई है।

ळळळळळळ

परिशिष्ट 2

केस स्टडीस

केस 1

विजय घाट

''मैं बाढ़ में अपने परिवार के लिए एक तम्बू ना पा सका, और तब मुसलधार बारिश हो रही थी ...जबकि कुछ परिवारों के पास अतिरिक्त तम्बू थे...ना ही हम खाना मिल सका ... क्योंकि हम मुसलमान हैं ।''

मोहम्मद सलीम खान अपनी पत्नी शमीना और बड़े बेटे के साथ अपने गृहनगर गुवाहाटी, असम, छोड़ कर एक दशक पहले, रोज़ी रोटी की बेहतर संभावनाओं की तलाश में दिल्ली आये। इतने वर्षो से ये विजय घाट में बसे हुए हैं।मुसलमान होने कि वजह से वह इस जगह पर एक अनिश्चित और एकाकी जीवन जी रहे हैं। सलीम एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करता है और अपने चार छोटे बच्चों और बीवी के साथ रु 100/– और कभी उससे भी कम प्रति दिन की दिहाड़ी पर निर्वाह करता हैं।

वे यमुना बाढ़ में अपनी गृहस्ती को गवा चुके हैं। वे अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नावों प्राप्त नहीं कर पाए थे। जब सलीम ने क्षेत्र में तैनात नौकाओं की सेवा पाने की कोशिश की तो उससे रु 20 की मांग की गयी चूँकि उसके पास तब एक पैसा नहीं था, और ना ही कोई और विकल्प था , उसको अपनी गृहस्ती को डूबता देखना पड़ा। बाढ़ के समय वह सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच सकता था। दोनों सलीम और शमीना किसी न किसी तरह से चार छोटे बच्चों के साथ ऊपरी क्षेत्र में चले गये और अन्य परिवारों के साथ एक महीने तक पास के बांध पर बसर किया।

हालांकि कुछ परिवारों के पास एक से भी ज्यादा तम्बु थे, सलीम ने बताया कि वह अपने परिवार के लिए एक भी तम्बु ना पा सका। उन्हें इस दैनीय स्थिति को सहना पढ़ा और जितने भी संसाधन उस समय उनके पास थे, उसके अन्दर गुज़ारा करना पड़ा शमीना ने रोते हुए बताया कि उन्हें अधिकारियों द्वारा वितरित किया जा रहा भोजन भी उपलब्ध नहीं हुआ और दूसरी ओर अन्य पीड़ितो द्वारा प्रताड़ित होना पड़ा। इनकी पीड़ा यही समाप्त नहीं हुई, इन्हें वापस अपने स्थान पर जाने को बोला गया, जहाँ अब सिर्फ उनके फूस के मकानों का मलबा था। पुलिस अधिकारियों ने उनपर बाँध को छोड़ वापस अपने स्थान पे जाने का दबाव बनाया ताकि उन्हें और अन्य पीड़ितो को, जो बांध पर रह रहे थे, राष्ट्र मंडल खेलो के मेहमानों की दृष्टि से अलख कर सके। राष्ट्र मंडल खेलो के अंतराष्ट्रिय मेहमानों , खिलाडियों को इस क्षेत्र के माध्यम से होकर गुज़रना था। इस कारण विवशता में इन्हें पानी क घटने से पहले ही अपने झोंपड़ों को लौटना पड़ा।

अब इन्होने रु 10000/– कर्ज़ लेकर वापस अपनी झुग्गी का निर्माण किया हैं। वे सबसे अधिक मैली परिस्थितियों में रहते हैं, और कोई एजेंसी (आंगनवाड़ी) यहा नहीं हैं जो इनके बच्चों को स्कूल की राह दिखाए और इनको स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से जीवन को जीना सिखाये। बाढ़ ने इनकी पहले से ही दुखी अवस्था को ऋणग्रस्तता में धकेलने के बाद और दुखी बना दिया हैं। बाढ़ के बाद सलीम वापस काम पर जाने में असमर्थ हैं क्यूंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ हैं। बीमारी के जो लक्षण सलीम ने बताये वह डेंगू के अनुरूप थे।मामूली आमदनी और सलीम की बीमारी के लम्बे चिकित्सा के इतिहास को देखते हुए

यह अनुमान लगाना शायद मुश्किल है कि कैसे ये परिवार वापस सामान्य होगा, वो भी किसी प्रणालीगत समर्थन और उचित पुनर्वास पैकेज के बिना।

केस 2

शास्त्री पार्क

''मैंने खुले आकाश के नीचे बाढ़ और बारिश के बीच अपने बच्चे को जन्म दिया।''

भरत कुमार की पत्नी चम्पा देवी ने, जो शास्त्री पार्क में रहते हैं, बाढ़ और लगातार बारिश के बीच अपने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के लिए कुछ स्थानीय महिलाओं ने चम्पा देवी की सहायता की और सबसे खतरनाक परिस्थितियों में, ताकते आकाश के निचे बच्चा जन्मा गया। वहाँ प्रसव के लिए कोई कमरा या सरकारी सुविधा नहीं थी, और न ही कोई अनुपूरक राहत पैकेज के अतिरिक्त सरकार द्वारा पूरक पोषण वितरण किया गया था। ऐसे में शायद सरकार से ये अपेक्षा करना कि वे नवजात शिशुयों का सामान (जैसे– दूध की बोतलें, कपड़े, नैपकिन आदि) वितरित करे एक बेसमझ अपेक्षा होगी। जब गर्भवती महिलाओं के लिए ही रहत वितरण के दोरान मूलभुत तत्व अमानविये तौर पर गायब रहे तो नवजात शिशुओं के लिए ये आशा रखना बेमाईने होता। वहाँ कोई चिकितसिये सहायता उपलब्ध नहीं थी। चंपा का नवजात शिशु, कठिनाइयों और बाढ़ से जुन्झते हुए अब एक महीने का हो गया हैं।

ये दंपत्ति गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और नियमित आजीविका के अवसरों की आशा में दिल्ली आये थे। ये अनुसूचित जाति समुदाय के मल्लाह उप–जाति के हैं, और जीवन निर्वाह के लिए ये पट्टा खेती करते हैं। बाढ़ के समय ये राहत शिविरों तक नहीं पहुच सके क्यूंकि उनके और अस्थायी शिविरों के बीच दूरी ज्यादा थी। वे नाव सेवाओं को पाने में भी असमर्थ थे क्यूंकि उसके लिए पैसा माँगा गया था। इन्होने अपने बर्तन, सर्दियों के कपड़े और अन्य सभी संभव गृहस्त सामग्री, जो वो जुटा पाए थे, खो दिया है। बाढ़ के बाद इस परिवार की वर्तमान परिस्थितियों को देखना अत्यधिक दुखदाई है, कि इनके पास अपने दो शिशुओं के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं और सर्दियों का मौसम भी दस्तक दे रहा था।

केस 3

चिल्ला गांव, मयूर विहार फेज 1

''हमारे जीने के लिए और हमारे बच्चों के लिए कुछ तो करना पढ़ेगा... हम सिर्फ एक पर एक हाथ रखकर नहीं बैठ सकते है।''

मंजू देवी, गौरी शंकर कि पत्नी, अब बहुत सालों से मयूर विहार फेज़–1 के चिल्ला गांव में रह रहे हैं। दोनों एक साथ अपनी 6 बीघा पट्टा भूमि को सींचते हैं और मौसमी सब्जियों की खेती करते थे, जब तक इस वर्ष की यमुना की बाढ़ ने उनकी फसलों को सपाट नहीं कर दिया। अब इन्हें नहीं पता के क्या करना है। इन्होने ज़मींदार को पट्टा राशी देने के लिए भारी रकम उधार ली थी। प्रति बीघे के लिए रु 4000/– का भुगतान किया था। इस साल इन्होने गाजीपुर सब्जी मंडी (थोक बाजार) के सब्जी के थोक विक्रेता से ब्याज पर पैसा उधार लिया था।

एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठी मंजू देवी अपने उजड़े खेतो को देख और अपनी चार बेटियों के भविष्य के बारे में सोचते हुए आह भर्ती हैं। वह लंबे समय से अपनी बेटियों को शिक्षित बनाने के सपने बुनती रही हैं, ताकि जीवन की जिन अनिश्चितताओं से वे गुजरे हैं, उससे उनकी बच्चियों को ना गुज़रना पड़े। अपनी पट्टा भूमि की उपज को बेचकर ये सम्मानित तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब, मंजू देवी इन विचारों से गहरा रही हैं कि उनकी फसले और घर सब बाढ़ में खत्म हो गये हैं और इस स्थिति ने इन्हें कर्ज़दार बना दिया हैं। वह ये नहीं जानती कि कैसे उसकी बेटियों की शिक्षा को वे जारी रखेगी और कैसे अपने पति की दैनिक मजदूरी के रु120/– से ऋण चुकाया जायेगा। यह ऋण इन्हें विशेष रूप से सब्जी विक्रेता को मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के अलावा उनकी उपज की आपूर्ति की शर्त पर विक्रेता दुआरा दिया गया था।

मंजू ये इच्छा करती हैं कि बेहतर होता जो इनकी बेटिया दिल्ली सरकार कि 'लाडली' योजना में दाखिल होती, मगर इन्हें पता नहीं है कि किसे, कब और कैसे आग्रह करना हैं। इसके अलावा, मंजू को लगता हैं कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका के लिए कुछ करने का अवसर होता तो उस जैसी और महिलायों की मदद हो जातीं। इन्होने अपने पति,गौरी शंकर से आग्रह किया है कि जीवन बसर करने के लिए फिलहाल दैनिक मजदूरी का काम ही पकड़ ले जिससे कुछ सहारा हो जाये।

बाढ़ ने इनकी पहले से ही जटिल और कठिन परिश्रम वाली दैनिक ज़िन्दगी को और जटिल बना दिया हैं। मंजू देवी जैसी कई महिलाये जो कुछ साक्षर हैं और अपनी बेटियों के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने दिल और आँखों में सपने प्रजनन करती हैं, काम करके अपने परिवार की आय के पूरक करने को तैयार हैं, अक्सर सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से हार जाती हैं। बाढ़ के दौरान शायद मंजू जैसी महिलाओं को सरकार की तरफ से मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता के साथ एक उपयुक्त जीवन और पुनर्वास के आश्वासन की जरूरत थी। वर्तमानचरण में जहाँ कोई नुकसान और क्षति का आकलन अभी तक नहीं किया गया है, वहा आने वाले कुछ महीनों तक मंजू को आसान दिनचर्या की उम्मीद नहीं दिखती ।

केस 4

विजय घाट

प्यारेलाल देव प्रकाश के दामाद हैं और विजय घाट में सालों से अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में रह रहे हैं। जब सर्वेक्षकों ने उनके परिवार से संपर्क किया, तो वह उत्तेजित हो गये, लेकिन बाद में अपनी शिकायतों और दबे क्रोध कि वजह बताई, जो की बाढ़ के कारण और धधक उठी थी।

हमने इसी भूमि पे फसल लगाई थी जहां आज हम सब कुछ खो चुके हैं। अभूतपूर्व बाढ़ में हमारा सब कुछ बह गया हैं। हमारे झोंपड़े भी बह गये। हम इतनी बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं के खुद को डूबने से बचाने के लिए पास के बांध पर जाकर रहना पड़ा। हम वही रह गये उस... बांध पर। हमे तम्बु नहीं मिला, ना ही खाद्य वस्तुओं तक हमारी पहोच रही, क्योंकि हम बाँध पर फंस हुए थे और सड़क के किनारे लगाये गये तम्बुओं तक हम पहुच नहीं सके। तम्बु हमारे पास तब आए जब मैंने कुछ मीडिया चैनल वालो को इसके बारे में बताया। प्रधान ने राहत सामग्री हम तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी पुलिस भी बेफिक्र रही। जब मैंने राहत की असमान वितरण के खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस वाले वापस मुझ पर चिल्लाए कि मैं अपनी मांगों पर ज्यादा हल्ला कर रहा हूँ।

हम अपनी पट्टा ज़मीन की उपज को बाजार में बेचकर अपनी ज़िन्दगी बसर करते हैं ।जो सब्जिया हम बोते थे, जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन आदि, आज की तरीक में बहुत अधिक महेंगी बिक रही हैं कि हम उसे खरीद भी नई सकते। महेंगाई के कारण हमे अपने बच्चों की छोटी –छोटी मांग पर समझोता करना पड़ रहा हैं । बाढ़ से हमे भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

यह जमीन जिस पर हम खेती करते हैं सरकारी जमीन है। वर्ष 2003 से पहले, कई परिवार यहाँ बसते थे और लोगों की हलचल रहती थी यहाँ। लेकिन फिर झुग्गियां हटाई गयी और सबका स्थानांतरण बवाना और अन्य जगहों पर करने के बाद, अब बस इतने ही परिवार यहा रह गये हैं और जीवन बहुत दुखद, अनिश्चित और असुरक्षित हो गया हैं। यहाँ हम कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकते, वास्तव में संपत्ति भी भूल जाते हैं, हमे तो मोबाइल सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए भी मुश्किल होती हैं क्योंकि हमारे मतदाता पहचान पत्र में केवल गांव का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा हैं, इसलिए कोई पूछताछ हमारे गांव में नहीं आती ।यहा आज तक पास में कोई स्कूल नहीं हैं और ना ही कोई आंगनवाड़ी हैं। गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए दरयागंज तक पैदल चलकर जाते हैं। जहा तक मुझे याद हैं, 2010 में ये पहली बार हैं कि जनगणना सर्वेक्षण में हमारा गाँव भी आया हैं । पुलिस भी यहा सिर्फ तब आती हैं जब वे कोई नई झुग्गी बनाते देखते हैं, ताकि हम गरीबों से उसको बनाने के लिए 'अधिकतम' रिश्वत ली जा सके। इन सभी कड़वी और अत्यंत दुखदाई तथ्यों के बीच बाढ़ ने हमारी पीडाओं को बड़ा दिया हैं और जीवन निर्वाह को और भी चुनोतिपूर्ण बना दिया हैं।

नेशनल दलित वॉच (एन.डी.डब्ल्यू.)
नेशनल काम्पैन ऑन दलित ह्यूमन राईट्स
8 /1, साउथ पटेल नगर,
तीसरा माला, नई दिल्ली – 110008

दूरभाष: 011 45668341, 45037897 फैक्स: 011 25842250

वेबसाइट -www.ncdhr.org.in
ब्लॉग - www.nationaldalitwatch-ncdhr.com